



# भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-13022020-216109  
CG-DL-E-13022020-216109

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)

PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 91]

नई दिल्ली, बुधवार, फरवरी 12, 2020/माघ 23, 1941

No. 91]

NEW DELHI, WEDNESDAY, FEBRUARY 12, 2020/MAGHA 23, 1941

वित्त मंत्रालय

(राजस्व विभाग)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 12 फरवरी, 2020

सा.का.नि. 109(अ).—केंद्रीय सरकार, वित्त अधिनियम, 2017 (2017 का 7) की धारा 184 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए निम्नलिखित नियम बनाती है, अर्थात् :--

1. संक्षिप्त नाम, प्रारंभ और लागू होना.—(1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम अधिकरण, अपील अधिकरण और अन्य प्राधिकरण (सदस्यों की अर्हताएं, अनुभव और अन्य सेवा शर्तें) नियम, 2017 है।

(2) ये उनके राजपत्र में प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।

(3) ये नियम वित्त अधिनियम, 2017 (2017 का 7) की आठवीं अनुसूची के स्तंभ (2) में यथा-विनिर्दिष्ट, यथास्थिति, अधिकरण, अपील अधिकरण या प्राधिकरण के अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, पीठासीन अधिकारी, लेखा सदस्य, प्रशासनिक सदस्य, न्यायिक सदस्य, विशेषज्ञ सदस्य, विधि सदस्य, राजस्व सदस्य, तकनीकी सदस्य, सदस्य को लागू होंगे।

2. परिभाषाएं.—इन नियमों में जब तक कि संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो,--

(क) “अधिनियम” से वित्त अधिनियम, 2017 (2017 का 7) की आठवीं अनुसूची के स्तंभ (3) में विनिर्दिष्ट अधिनियम अभिप्रेत है ;

(ख) “लेखा सदस्य”, “प्रशासनिक सदस्य”, “न्यायिक सदस्य”, “विशेषज्ञ सदस्य”, “विधि सदस्य”, “राजस्व सदस्य” या “तकनीकी सदस्य” से, यथास्थिति, अधिकरण, अपील अधिकरण या प्राधिकरण का

अधिनियम के तत्स्थानी उपबंधों के अधीन नियुक्त लेखा सदस्य, प्रशासनिक सदस्य, न्यायिक सदस्य, विशेषज्ञ सदस्य, विधि सदस्य, राजस्व सदस्य या तकनीकी सदस्य अभिप्रेत है ;

- (ग) “अपील अधिकरण”, “प्राधिकरण” या “अधिकरण” का वही अर्थ है, जो अधिनियम के तत्स्थानी उपबंधों में उनका है ;
- (घ) “अध्यक्ष” से अधिनियम के तत्स्थानी उपबंधों के अधीन नियुक्त, यथास्थिति, अधिकरण, अपील अधिकरण या प्राधिकरण का अध्यक्ष अभिप्रेत है ;
- (ङ) “सदस्य” से लेखा सदस्य, प्रशासनिक सदस्य, न्यायिक सदस्य, विशेषज्ञ सदस्य, विधि सदस्य, राजस्व सदस्य या तकनीकी सदस्य अभिप्रेत है और इसके अंतर्गत, यथास्थिति, प्रतिभूति अपील अधिकरण का अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, पीठासीन अधिकारी या उपाध्यक्ष है ;
- (च) “पीठासीन अधिकारी” से भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड अधिनियम, 1992 (1992 का 15) की धारा 15ठ के अधीन नियुक्त प्रतिभूति अपील अधिकरण का पीठासीन अधिकारी, बैंकों और वित्तीय संस्थाओं को शोध ऋण वसूली अधिनियम, 1993 (1993 का 51) की धारा 4 की उपधारा (1) के अधीन नियुक्त ऋण वसूली अधिकरण का पीठासीन अधिकारी और केंद्रीय सरकार द्वारा औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 (1947 का 14) की धारा 7क की उपधारा (1) के अधीन नियुक्त औद्योगिक अधिकरण का पीठासीन अधिकारी अभिप्रेत है ;
- (छ) “खोजबीन-सह-चयन समिति” से नियम 4 में निर्दिष्ट खोजबीन-सह-चयन समिति अभिप्रेत है ;
- (ज) “उपाध्यक्ष” से, यथास्थिति, अधिकरण, अपील अधिकरण या प्राधिकरण का उपाध्यक्ष अभिप्रेत है ;
- (झ) उन शब्दों और पदों के, जो इसमें प्रयुक्त हैं और परिभाषित नहीं हैं किंतु अधिनियम में परिभाषित हैं, क्रमशः वही अर्थ होंगे जो उनका संबंधित अधिनियमों में है ।

**3. सदस्य की नियुक्ति के लिए अर्हताएं.**—यथास्थिति, अधिकरण, अपील अधिकरण, प्राधिकरण के अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, पीठासीन अधिकारी, लेखा सदस्य, प्रशासनिक सदस्य, न्यायिक सदस्य, विशेषज्ञ सदस्य, विधि सदस्य, राजस्व सदस्य, तकनीकी सदस्य या सदस्य की नियुक्ति के लिए अर्हताएं वह होगी, जो इन नियमों से उपाबद्ध अनुसूची के स्तंभ (3) में विनिर्दिष्ट हैं ।

**4. भर्ती की पद्धति.**—(1) यथास्थिति, अधिकरण, अपील अधिकरण, प्राधिकरण के अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, पीठासीन अधिकारी, लेखा सदस्य, प्रशासनिक सदस्य, न्यायिक सदस्य, विशेषज्ञ सदस्य, विधि सदस्य, राजस्व सदस्य या तकनीकी सदस्य या सदस्य की नियुक्ति यथास्थिति, अधिकरण, अपील अधिकरण या प्राधिकरण के संबंध में उक्त अनुसूची के स्तंभ (4) में विनिर्दिष्ट खोजबीन-सह-चयन समिति की सिफारिश पर केंद्रीय सरकार द्वारा की जाएगी ।

(2) खोजबीन-सह-चयन समिति, अपनी सिफारिश करने के लिए अपनी प्रक्रिया अवधारित करेगी और, यथास्थिति, अधिकरण, अपील अधिकरण या प्राधिकरण की अपेक्षाओं को दृष्टिगत रखते हुए, उपयुक्तता, पिछले निष्पादन का अभिलेख, निष्ठा के साथ-साथ न्यायनिर्णायक अनुभव को ध्यान में रखते हुए, प्रत्येक पद पर नियुक्ति हेतु दो या तीन व्यक्तियों के पैनल की सिफारिश करेगी ।

(3) अधिकरण, अपील अधिकरण या प्राधिकरणों के अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, पीठासीन अधिकारी, लेखा सदस्य, प्रशासनिक सदस्य, न्यायिक सदस्य, विशेषज्ञ सदस्य, विधि सदस्य, राजस्व सदस्य, तकनीकी सदस्य या सदस्य की नियुक्ति केवल इस कारण से ही अविधिमान्य नहीं होगी कि खोजबीन-सह-चयन समिति में कोई रिक्ति या अनुपस्थिति है ।

(4) इस नियम की कोई बात, यथास्थिति, अधिकरण, अपील अधिकरण या प्राधिकरण के अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, पीठासीन अधिकारी, लेखा सदस्य, प्रशासनिक सदस्य, न्यायिक सदस्य, विशेषज्ञ सदस्य, विधि सदस्य, राजस्व सदस्य या तकनीकी सदस्य या सदस्य, जो इन नियमों के प्रारंभ होने से ठीक पूर्व उस रूप में कार्य कर रहा है, को लागू नहीं होगी ।

**5. चिकित्सक दृष्टया योग्यता.**—किसी व्यक्ति को, जिसे केंद्रीय सरकार द्वारा इस निमित्त विनिर्दिष्ट किसी प्राधिकारी द्वारा चिकित्सा दृष्टया योग्य घोषित न कर दिया जाए, अधिकरण, अपील अधिकरण या प्राधिकरण का अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, पीठासीन अधिकारी, लेखा सदस्य, प्रशासनिक सदस्य, न्यायिक सदस्य, विशेषज्ञ सदस्य, विधि सदस्य, राजस्व सदस्य या तकनीकी सदस्य या सदस्य नियुक्त नहीं किया जाएगा।

**6. किसी सदस्य द्वारा त्यागपत्र.**—कोई सदस्य, केंद्रीय सरकार को संबोधित अपने हस्ताक्षर सहित लेख द्वारा किसी भी समय पद से त्यागपत्र दे सकेगा :

परंतु सदस्य जब तक कि केंद्रीय सरकार द्वारा उसे पहले पद छोड़ने की अनुज्ञा न प्रदान की जाए, ऐसी सूचना की प्राप्ति की तारीख से तीन मास के अवसान तक या जब तक कि उसके उत्तरवर्ती की उस पद पर सम्यक्तः नियुक्ति न कर दी जाए या उसकी पदावधि की समाप्ति, इनमें जो भी पूर्वतर हो, अपने पद पर बना रहेगा।

**7. सदस्य को पद से हटाना.**—केंद्रीय सरकार, इस निमित्त उसके द्वारा गठित समिति की सिफारिश पर किसी सदस्य को पद से हटा सकेगी, जिसे

(क) दिवालिया न्यायनिर्णीत किया गया है ;

(ख) ऐसे किसी अपराध के लिए सिद्धदोष ठहराया गया है, जिसमें नैतिक अधमता अंतर्वलित है ;

(ग) शारीरिक रूप से या मानसिक रूप से सदस्य के रूप में कार्य करने में असमर्थ हो गया है ;

(घ) उसने ऐसे वित्तीय या अन्य हित अर्जित किए हैं, जिनसे सदस्य के रूप में उसके कृत्यों पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ने की संभावना है ;

(ङ) उसने अपनी हैसियत का इस प्रकार दुरुपयोग किया है जिससे उसका पद पर बने रहना लोकहित के प्रतिकूल हो गया है :

परंतु जहां किसी सदस्य को खंड (ख) से खंड (ङ) में विनिर्दिष्ट किसी आधार पर हटाया जाना प्रस्तावित है तो वहां सदस्य को उसके विरुद्ध आरोपों की सूचना दी जाएगी और उन आरोपों के संबंध में सुने जाने का अवसर प्रदान किया जाएगा।

**8. सदस्य के दुर्व्यवहार या अक्षमता की जांच की प्रक्रिया.**—(1) यदि केंद्रीय सरकार को अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, पीठासीन अधिकारी, लेखा सदस्य, प्रशासनिक सदस्य, न्यायिक सदस्य, विशेषज्ञ सदस्य, विधि सदस्य, राजस्व सदस्य, तकनीकी सदस्य या सदस्य के संबंध में दुर्व्यवहार या पद के कृत्यों का पालन करने में अक्षमता के स्पष्ट आरोप का अभिकथन करने की कोई लिखित शिकायत प्राप्त होती है तो वह ऐसी शिकायत की प्रारंभिक संवीक्षा करेगी।

(2) यदि प्रारंभिक संवीक्षा पर, केंद्रीय सरकार की यह राय है कि किसी अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, पीठासीन अधिकारी, लेखा सदस्य, प्रशासनिक सदस्य, न्यायिक सदस्य, विशेषज्ञ सदस्य, विधि सदस्य, राजस्व सदस्य, तकनीकी सदस्य या सदस्य के किसी दुर्व्यवहार या अक्षमता की सच्चाई की जांच करने के लिए युक्तियुक्त आधार है तो वह जांच संचालित करने के लिए खोजबीन-सह-चयन समिति को निर्देश करेगी।

(3) खोजबीन-सह-चयन समिति, उतने समय या उतने और समय के भीतर, जो केंद्रीय सरकार द्वारा विनिर्दिष्ट किया जाए, जांच पूरी करेगी।

(4) खोजबीन-सह-चयन समिति, जांच पूरी होने के पश्चात् केंद्रीय सरकार को अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करेगी, जिसमें वह अपने निष्कर्षों और पृथक् रूप से आरोपों में से प्रत्येक आरोप पर उन के लिए कारणों का और संपूर्ण मामले पर अपनी टिप्पणियों, जो वह ठीक समझे, का कथन करेगी।

(5) खोजबीन-सह-चयन समिति, सिविल प्रक्रिया संहिता, 1908 (1908 का 5) में अधिकथित प्रक्रिया से आबद्ध नहीं होगी किंतु वह नैसर्गिक न्याय के सिद्धांतों द्वारा मार्गदर्शित होगी और उसे अपनी प्रक्रिया को विनियमित करने की शक्ति होगी, जिसके अंतर्गत अपनी जांच के लिए तारीख, स्थान और समय नियत करना भी है।

**9. सदस्य की पदावधि.**—(1) अध्यक्ष, चार वर्ष की अवधि के लिए या सत्तर वर्ष की आयु प्राप्त करने तक, इनमें से जो भी पूर्वतर हो, पद धारण करेगा :

(2) यथास्थिति, उपाध्यक्ष, पीठासीन अधिकारी, लेखा सदस्य, प्रशासनिक सदस्य, न्यायिक सदस्य, विशेषज्ञ सदस्य, विधि सदस्य, राजस्व सदस्य, तकनीकी सदस्य या सदस्य चार वर्ष की अवधि के लिए या पैसठ वर्ष की आयु प्राप्त करने तक पद धारण करेगा।

**10. आकस्मिक रिक्ति—** (1) (क) यथास्थिति, अधिकरण, अपील अधिकरण या प्रतिभूति अपील अधिकरण के अध्यक्ष के पद पर आकस्मिक रिक्ति की दशा में केंद्रीय सरकार को ज्येष्ठतम उपाध्यक्ष को या उसकी अनुपस्थिति में, यथास्थिति, अधिकरण, अपील अधिकरण या प्राधिकरण के किसी एक लेखा सदस्य, प्रशासनिक सदस्य, न्यायिक सदस्य, विशेषज्ञ सदस्य, विधि सदस्य, राजस्व सदस्य, तकनीकी सदस्य या सदस्य को, अध्यक्ष या पीठासीन अधिकारी के रूप में स्थानापन्न के रूप में नियुक्त करने की शक्ति होगी।

(ख) केंद्रीय सरकार को, ऋण वसूली अपील अधिकरण के अध्यक्ष के पद पर आकस्मिक रिक्ति की दशा में किसी अन्य ऋण वसूली अपील अधिकरण के अध्यक्ष को, अध्यक्ष के रूप में स्थानापन्न के रूप में नियुक्त करने की शक्ति होगी और ऋण वसूली अपील अधिकरण के पीठासीन अधिकारी के पद पर आकस्मिक रिक्ति की दशा में ऋण वसूली अपील अधिकरण के अध्यक्ष को किसी अन्य ऋण वसूली अपील अधिकरण के पीठासीन अधिकारी को स्थानापन्न पीठासीन अधिकारी के रूप में नियुक्त करने की शक्ति होगी।

**11. वेतन और भत्ते.—**(1) यथास्थिति, अधिकरण, अपील अधिकरण या प्राधिकरण का अध्यक्ष, या प्रतिभूति अपील अधिकरण के पीठासीन अधिकारी को 2,50,000/- रुपए (नियत) और केंद्रीय सरकार के समान वेतन वाले समूह 'क' पदधारण करने वाले अधिकारी को अनुज्ञेय अन्य भत्ते और फायदों का संदाय किया जाएगा।

(2) यथास्थिति, उपाध्यक्ष, लेखा सदस्य, प्रशासनिक सदस्य, न्यायिक सदस्य, विशेषज्ञ सदस्य, विधि सदस्य, राजस्व सदस्य, तकनीकी सदस्य या सदस्य को 2,25,000/- रुपए के वेतन का संदाय किया जाएगा और वह भारत सरकार के समान वेतन वाला पदधारण करने वाले समूह 'क' अधिकारी को अनुज्ञेय भत्तों को प्राप्त करने का हकदार होगा।

(3) केंद्रीय सरकार द्वारा गठित ऋण वसूली अधिकरण के पीठासीन अधिकारी या औद्योगिक अधिकरण के पीठासीन अधिकारी को 1,44,200-2,18,200/- रुपए के वेतन का संदाय किया जाएगा और वह भारत सरकार के समान वेतन वाला पदधारण करने वाले समूह 'क' अधिकारी को अनुज्ञेय भत्तों को प्राप्त करने का हकदार होगा।

(4) किसी ऐसे व्यक्ति के, यथास्थिति, अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, पीठासीन अधिकारी, लेखा सदस्य, प्रशासनिक सदस्य, न्यायिक सदस्य, विशेषज्ञ सदस्य, विधि सदस्य, राजस्व सदस्य, तकनीकी सदस्य या सदस्य के रूप में नियुक्ति की दशा में, जो किसी पेंशन को प्राप्त कर रहा है, ऐसे व्यक्ति के वेतन को उसके द्वारा अर्हित पेंशन की सकल रकम से कम कर दिया जाएगा।

**12. पेंशन, उपदान और भविष्य निधि.—**(1) उच्चतम न्यायालय या किसी उच्च न्यायालय के सेवारत न्यायाधीश या किसी अधिकरण के न्यायिक सदस्य या भारतीय विधिक सेवा के सदस्य या किसी संगठित सेवा के सदस्य की दशा में, जिसकी नियुक्ति प्रतिभूति अपील अधिकरण के अध्यक्ष या पीठासीन अधिकारी के रूप में की जाती है, यथास्थिति, अधिकरण, अपील अधिकरण या प्राधिकरण में की गई सेवा को उस सेवा के नियमों के अनुसार, जिससे वह संबंध रखता है, पेंशन के लिए गणना में लिया जाएगा और वह साधारण भविष्य निधि (केंद्रीय सेवाएं) नियम, 1960 और उसे लागू पेंशन नियमों के उपबंधों द्वारा शासित होगा।

(2) सभी अन्य मामलों में लेखा सदस्य, प्रशासनिक सदस्य, न्यायिक सदस्य, विशेषज्ञ सदस्य, विधि सदस्य, राजस्व सदस्य, तकनीकी सदस्य या सदस्य अभिदायी भविष्य निधि (भारत) नियम, 1962 और अभिदायी पेंशन प्रणाली के उपबंधों द्वारा शासित होगा।

(3) यथास्थिति, अधिकरण, अपील अधिकरण या प्राधिकरण में की गई सेवा के लिए अतिरिक्त पेंशन और उपदान अनुज्ञेय नहीं होगा।

**13. छुट्टी.—**(1) अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, लेखा सदस्य, प्रशासनिक सदस्य, न्यायिक सदस्य, विशेषज्ञ सदस्य, विधि सदस्य, राजस्व सदस्य, तकनीकी सदस्य, पीठासीन अधिकारी या सदस्य सेवा के प्रत्येक वर्ष के लिए तीस दिन की अर्जित छुट्टी का हकदार होगा।

(2) अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, लेखा सदस्य, प्रशासनिक सदस्य, न्यायिक सदस्य, विशेषज्ञ सदस्य, विधि सदस्य, राजस्व सदस्य, तकनीकी सदस्य, पीठासीन अधिकारी या सदस्य को किसी कलेंडर वर्ष में आठ दिन से अनधिक आकस्मिक छुट्टी अनुदत्त की जाएगी।

(3) छुट्टी के दौरान छुट्टी वेतन, केंद्रीय सिविल सेवा (छुट्टी) नियम, 1972 के नियम 40 द्वारा शासित होगा।

(4) अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, पीठासीन अधिकारी, लेखा सदस्य, प्रशासनिक सदस्य, न्यायिक सदस्य, विशेषज्ञ सदस्य, विधि सदस्य, राजस्व सदस्य, तकनीकी सदस्य या सदस्य इस शर्त के अधीन रहते हुए कि अधिकतम छुट्टी नकदीकरण, जिसके अंतर्गत पूर्व सेवा से सेवानिवृत्ति के समय प्राप्त रकम भी है, उसके खाते में जमा अर्जित छुट्टी के संबंध में छुट्टी के नकदीकरण का हकदार होगा कि उसके द्वारा प्राप्त रकम केंद्रीय सिविल सेवा (छुट्टी) नियम, 1972 के अधीन विहित सीमा से अधिक नहीं होगा।

**14. छुट्टी मंजूर करने वाला प्राधिकारी.—**(1) (क) ऋण वसूली अधिकरण और औद्योगिक अधिकरण के उपाध्यक्ष, पीठासीन अधिकारी, लेखा सदस्य, प्रशासनिक सदस्य, न्यायिक सदस्य, विशेषज्ञ सदस्य, विधि सदस्य, राजस्व सदस्य, तकनीकी सदस्य या सदस्य के लिए छुट्टी मंजूर करने वाला प्राधिकारी, अध्यक्ष होगा ; और

(ख) प्रतिभूति अपील अधिकरण के अध्यक्ष, पीठासीन अधिकारी की छुट्टी मंजूर करने वाला प्राधिकारी, केंद्रीय सरकार होगी, जो प्रतिभूति अपील अधिकरण के अध्यक्ष की अनुपस्थिति की दशा में लेखा सदस्य, प्रशासनिक सदस्य, न्यायिक सदस्य, विशेषज्ञ सदस्य या सदस्य के लिए भी छुट्टी मंजूर करने वाला प्राधिकारी होगी।

(2) केंद्रीय सरकार अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, लेखा सदस्य, प्रशासनिक सदस्य, न्यायिक सदस्य, विशेषज्ञ सदस्य, तकनीकी सदस्य, पीठासीन अधिकारी या सदस्य के लिए विदेश यात्रा हेतु मंजूर करने वाला प्राधिकारी होगी।

**15. गृह किराया भत्ता.—**अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, पीठासीन अधिकारी, लेखा सदस्य, प्रशासनिक सदस्य, न्यायिक सदस्य, विशेषज्ञ सदस्य, तकनीकी सदस्य या सदस्य उसी दर पर गृह किराया भत्ते के हकदार होंगे, जो भारत सरकार के समान वेतन वाले पद धारण करने वाले समूह 'क' अधिकारी को अनुज्ञेय है।

**16. परिवहन भत्ता.—**अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, लेखा सदस्य, प्रशासनिक सदस्य, न्यायिक सदस्य, विशेषज्ञ सदस्य, तकनीकी सदस्य, पीठासीन अधिकारी या सदस्य भारत सरकार के समान वेतन वाले पद धारण करने वाले समूह 'क' अधिकारी को यथा अनुज्ञेय सुविधाओं के अनुसार स्टाफ कार नियम के उपबंधों के अनुसार शासकीय और प्राइवेट प्रयोजनों के लिए स्टाफ कार की सुविधा के हकदार होंगे।

**17. वित्तीय और अन्य हितों की घोषणा.—**अध्यक्ष, उपाध्यक्ष लेखा सदस्य, प्रशासनिक सदस्य, न्यायिक सदस्य, विशेषज्ञ सदस्य, विधि सदस्य, राजस्व सदस्य, तकनीकी सदस्य, पीठासीन अधिकारी या सदस्य अपना पद धारण करने से पूर्व अपनी आस्तियों और अपने उत्तरदायित्वों तथा वित्तीय और अन्य हितों को घोषित करेगा।

**18. सेवा की अन्य शर्तें.—**(1) अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, लेखा सदस्य, प्रशासनिक सदस्य, न्यायिक सदस्य, विशेषज्ञ सदस्य या तकनीकी सदस्य, पीठासीन अधिकारी या सदस्य, जिसके संबंध में इन नियमों में कोई अभिव्यक्त उपबंध नहीं किया गया है, की सेवा के निबंधन और शर्तें वे होंगी, जो भारत सरकार के समान वेतन वाला पद धारण करने वाले समूह 'क' अधिकारी को अनुज्ञेय हैं।

(2) अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, लेखा सदस्य, प्रशासनिक सदस्य, न्यायिक सदस्य, विशेषज्ञ सदस्य, तकनीकी सदस्य, पीठासीन अधिकारी या सदस्य किसी अधिकरण, अपील अधिकरण या प्राधिकरण के समक्ष, यथास्थिति, उस अधिकरण, अपील अधिकरण या प्राधिकरण से सेवानिवृत्ति के पश्चात् व्यवसाय नहीं करेंगे।

(3) अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, लेखा सदस्य, प्रशासनिक सदस्य, न्यायिक सदस्य, विशेषज्ञ सदस्य, तकनीकी सदस्य, पीठासीन अधिकारी या सदस्य, अधिकरण, अपील अधिकरण या प्राधिकरण में इन हैसियतों में कार्य करते हुए कोई माध्यस्थम् संबंधी कार्य नहीं करेगा।

(4) यथास्थिति, अधिकरण, अपील अधिकरण या प्राधिकरण का अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, पीठासीन अधिकारी, लेखा सदस्य, प्रशासनिक सदस्य, न्यायिक सदस्य, विशेषज्ञ सदस्य, विधि सदस्य, राजस्व सदस्य या तकनीकी सदस्य उस

तारीख से, जिसको वह अपना पद धारण करने से प्रविरत हो जाता है, दो वर्ष की अवधि के लिए किसी ऐसे व्यक्ति का, जो, यथास्थिति, अधिकरण, अपील अधिकरण या प्राधिकरण के समक्ष किसी कार्यवाही का पक्षकार रहा है, कोई नियोजन स्वीकार नहीं करेगा या उसके प्रबंधन या प्रशासन से नहीं जुड़ेगा :

परंतु इस नियम में अंतर्विष्ट कोई बात केंद्रीय सरकार या किसी राज्य सरकार या स्थानीय प्राधिकरण या किसी कानूनी निकाय या किसी केंद्रीय अधिनियम, राज्य अधिनियम या प्रादेशिक अधिनियम के द्वारा या उसके अधीन स्थापित किसी कानूनी प्राधिकरण या किसी निगम या कंपनी अधिनियम, 2013 (2013 का 18) की धारा 2 के खंड (45) में यथापरिभाषित किसी सरकारी कंपनी के अधीन किसी नियोजन को लागू नहीं होगी ।

**19. पद और गोपनीयता की शपथ.—**अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, लेखा सदस्य, प्रशासनिक सदस्य, न्यायिक सदस्य, विशेषज्ञ सदस्य, तकनीकी सदस्य, पीठासीन अधिकारी या सदस्य के रूप में नियुक्त होने वाला प्रत्येक व्यक्ति अपना पद ग्रहण करने से पूर्व इन नियमों से उपाबद्ध प्ररूप 1 और प्ररूप 2 में पद और गोपनीयता की शपथ लेगा तथा उस पर हस्ताक्षर करेगा ।

### प्ररूप 1

(नियम 19 देखिए)

..... (अधिकरण/अपील अधिकरण/प्राधिकरण का नाम) के अध्यक्ष/उपाध्यक्ष/पीठासीन अधिकारी/प्रशासनिक सदस्य/न्यायिक सदस्य/विशेषज्ञ सदस्य/विधि सदस्य/राजस्व सदस्य/तकनीकी सदस्य, सदस्य के लिए पद की शपथ का प्ररूप

मैं ..... अमुक (अधिकरण/अपील अधिकरण/प्राधिकरण का नाम) के अध्यक्ष/उपाध्यक्ष/लेखा सदस्य/प्रशासनिक सदस्य/न्यायिक सदस्य/विशेषज्ञ सदस्य/विधि सदस्य/राजस्व सदस्य/तकनीकी सदस्य/सदस्य के रूप में नियुक्त किए जाने पर

ईश्वर की शपथ लेता हूँ/सत्यनिष्ठा से प्रतिज्ञान करता हूँ कि मैं श्रद्धापूर्वक और शुद्ध अंतःकरण से (अधिकरण/अपील अधिकरण/प्राधिकरण का नाम) के अध्यक्ष/उपाध्यक्ष/लेखा सदस्य/प्रशासनिक सदस्य/न्यायिक सदस्य/विशेषज्ञ सदस्य/विधि सदस्य/राजस्व सदस्य/तकनीकी सदस्य/सदस्य के रूप में अपने कर्तव्यों का अपनी पूरी योग्यता, ज्ञान और विवेक से भय या पक्षपात, अनुराग या द्वेष के बिना निर्वहन करूंगा और मैं संविधान और देश की विधियों की मर्यादा को बनाए रखूंगा ।

### प्ररूप 2

(नियम 19 देखिए)

.....(अधिकरण/अपील अधिकरण/प्राधिकरण का नाम) के अध्यक्ष/उपाध्यक्ष/लेखा सदस्य/प्रशासनिक सदस्य/न्यायिक सदस्य/विशेषज्ञ सदस्य/विधि सदस्य/राजस्व सदस्य/तकनीकी सदस्य/सदस्य के लिए गोपनीयता की शपथ का प्ररूप

मैं.....अमुक (अधिकरण/अपील अधिकरण/प्राधिकरण का नाम) के अध्यक्ष/उपाध्यक्ष/पीठासीन अधिकारी/सदस्य के रूप में नियुक्त किए जाने पर ईश्वर की शपथ लेता हूँ/सत्यनिष्ठा से प्रतिज्ञान करता हूँ कि जो विषय मेरे विचार के लिए लाया जाएगा अथवा मुझे ज्ञात होगा उसे किसी व्यक्ति या व्यक्तियों को तब के सिवाय जबकि ऐसे (अधिकरण/अपील अधिकरण/प्राधिकरण का नाम) के अध्यक्ष/उपाध्यक्ष/ लेखा सदस्य/प्रशासनिक सदस्य/न्यायिक सदस्य/विशेषज्ञ सदस्य/विधि सदस्य/राजस्व सदस्य/तकनीकी सदस्य/सदस्य के रूप में अपने कर्तव्यों के सम्यक् निर्वहन के लिए ऐसा करना अपेक्षित हो, मैं प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से संसूचित या प्रकट नहीं करूंगा ।

## अनुसूची

(नियम 3 और 4 देखिए)

क्रम सं.	अधिकरण, अपील अधिकरण या प्राधिकरण का नाम	अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, लेखा सदस्य, प्रशासनिक सदस्य, न्यायिक सदस्य, विशेषज्ञ सदस्य, तकनीकी सदस्य या सदस्य की नियुक्ति के लिए अर्हता	खोजबीन-सह-चयन समिति की संरचना
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	केंद्रीय सरकार द्वारा औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 (1947 का 14) के अधीन गठित औद्योगिक अधिकरण	कोई सदस्य पीठासीन अधिकारी के रूप में नियुक्ति के लिए अर्हित नहीं होगा, जब तक,-- (क) वह उच्च न्यायालय का न्यायाधीश नहीं है, या नहीं रहा है; या (ख) वह, दस वर्ष की संयुक्त अवधि के लिए, जिला न्यायाधीश और अपर जिला न्यायाधीश नहीं रहा है; या	पीठासीन अधिकारी के लिए खोजबीन-सह-चयन समिति : (i) भारत के मुख्य न्यायमूर्ति या उनके द्वारा नामनिर्दिष्ट उच्चतम न्यायालय का कोई न्यायाधीश – अध्यक्ष (ii) राष्ट्रीय औद्योगिक अधिकरण का पदमुक्त पीठासीन अधिकारी – सदस्य (iii) सचिव, भारत सरकार, श्रम और रोजगार मंत्रालय – सदस्य ;और (iv) सचिव, भारत सरकार, वाणिज्य मंत्रालय उद्योग संवर्धन और आंतरिक व्यापार विभाग – सदस्य
2.	आय-कर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) के अधीन आय-कर अपील अधिकरण	(1) कोई व्यक्ति अध्यक्ष के रूप में नियुक्ति के लिए अर्हित नहीं होगा, यदि वह किसी उच्च न्यायालय का पीठासीन या सेवानिवृत्त न्यायाधीश नहीं है और जिसने किसी उच्च न्यायालय में या आय-कर अपील अधिकरण के उपाध्यक्ष के रूप में सात वर्ष से अन्यून सेवा नहीं कर ली है। (2) केंद्रीय सरकार आय-कर अपील अधिकरण के एक या अधिक सदस्यों को, यथास्थिति, उसका उपाध्यक्ष या उपाध्यक्ष नियुक्त कर सकेगी। (3) न्यायिक सदस्य के रूप में नियुक्त किए जाने के लिए कोई व्यक्ति अर्हित नहीं होगा, जब तक, (क) वह, दस वर्ष की संयुक्त अवधि के लिए, जिला न्यायाधीश और अपर न्यायाधीश नहीं रहा है; या (ख) वह भारतीय विधिक सेवा का सदस्य नहीं है और उसने अपर सचिव या कोई समतुल्य या उच्च पद दो वर्ष के लिए धारण नहीं किया है; या (ग) वह पच्चीस वर्ष के लिए अधिवक्ता नहीं रहा है; (4) कोई व्यक्ति लेखा सदस्य के रूप में नियुक्ति के लिए अर्हित नहीं होगा, जब तक, (i) उसने कम से कम पच्चीस वर्ष लेखाकर्म का व्यवसाय नहीं किया है ; (क) वह चार्टर्ड अकाउंटेंट अधिनियम, 1949 (1949 का 38) के अधीन चार्टर्ड अकाउंटेंट नहीं है ; या	अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, लेखा सदस्य या न्यायिक सदस्य के पद के लिए खोजबीन-सह-चयन समिति : (i) भारत के मुख्य न्यायमूर्ति या उनके द्वारा नामनिर्दिष्ट उच्चतम न्यायालय का कोई न्यायाधीश – अध्यक्ष (ii) (क) अध्यक्ष की नियुक्ति की दशा में, आय-कर अपील अधिकरण का पदमुक्त अध्यक्ष – सदस्य; या (ख) उपाध्यक्ष या लेखा सदस्य या न्यायिक सदस्य की नियुक्ति की दशा में, आय-कर अपील अधिकरण का अध्यक्ष-सदस्य (iii) सचिव, भारत सरकार, कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय (कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग)- सदस्य (iv) सचिव, भारत सरकार, वित्त मंत्रालय (राजस्व विभाग) –सदस्य

		<p>(ख) वह तत्समय प्रवृत्त किसी विधि के अधीन रजिस्ट्रीकृत लेखाकार नहीं है; या भागतः ऐसा रजिस्ट्रीकृत लेखाकार और भागतः चार्टर्ड अकाउंटेंट नहीं है ; या</p> <p>(ii) वह भारतीय राजस्व सेवा (आय-कर सेवा समूह 'क') का सदस्य नहीं रहा है और उसने प्रधान आयुक्त आय-कर या किसी समतुल्य या उच्चतर पद कम से कम दो वर्ष तक धारण नहीं किया है और उसने न्यायिक, अर्द्धन्यायिक या न्यायनिर्णयन के कृत्यों का तीन वर्ष की अवधि तक निर्वहन नहीं किया है ।</p>	
3.	सीमा-शुल्क अधिनियम, 1962 (1962 का 52) के अधीन सीमाशुल्क, उत्पाद-शुल्क और सेवा कर अपील अधिकरण	<p>(1) कोई व्यक्ति अध्यक्ष के रूप में नियुक्ति के लिए अर्हित नहीं होगा, जब तक:</p> <p>(क) वह उच्च न्यायालय का न्यायाधीश नहीं है या नहीं रहा है और जिसने उच्च न्यायालय के न्यायाधीश के रूप में सात वर्ष से अन्यून की सेवा पूरी नहीं की है ; या</p> <p>(ख) वह अपील अधिकरण का सदस्य नहीं है ।</p> <p>(2) कोई सदस्य न्यायिक सदस्य के रूप में नियुक्ति के लिए अर्हित नहीं होगा जब तक,-</p> <p>(क) वह दस वर्ष की संयुक्त अवधि के लिए जिला न्यायाधीश और अपर जिला न्यायाधीश नहीं रहा है ; या</p> <p>(ख) वह भारतीय विधिक सेवा का सदस्य नहीं है और उसने अपर सचिव या कोई समतुल्य या उच्च पद दो वर्ष के लिए धारण नहीं किया है; या</p> <p>(ग) वह पच्चीस वर्ष के लिए अधिवक्ता नहीं रहा है ।</p> <p>(3) कोई व्यक्ति तकनीकी सदस्य के रूप में नियुक्ति के लिए अर्हित नहीं होगा जब तक वह भारतीय राजस्व (सीमाशुल्क और केंद्रीय उत्पाद-शुल्क सेवा समूह 'क') का सदस्य न हो और उसने प्रधान आयुक्त सीमाशुल्क या केंद्रीय उत्पाद-शुल्क या कोई समतुल्य या उच्चतर पद दो वर्ष के लिए धारण नहीं किया हो और जिसने न्यायिक, अर्द्धन्यायिक या न्यायनिर्णयन के कृत्यों का निर्वहन तीन वर्ष के लिए न किया हो ।</p>	<p>अध्यक्ष, न्यायिक सदस्य और तकनीकी सदस्य के पद के लिए खोजबीन-सह-चयन समिति—</p> <p>(i) भारत के मुख्य न्यायमूर्ति या उनके द्वारा नामनिर्दिष्ट उच्चतम न्यायालय का कोई न्यायाधीश- अध्यक्ष</p> <p>(ii)(क) अध्यक्ष की नियुक्ति की दशा में, सीमाशुल्क, उत्पाद-शुल्क और सेवा कर अपील अधिकरण का पदमुक्त अध्यक्ष – सदस्य ; या</p> <p>(ख) न्यायिक सदस्य या तकनीकी सदस्य की नियुक्ति की दशा में सीमाशुल्क, उत्पाद-शुल्क और सेवा कर अपील अधिकरण का अध्यक्ष-सदस्य</p> <p>(iii) सचिव, भारत सरकार, वित्त मंत्रालय(राजस्व विभाग)-सदस्य</p> <p>(iv) सचिव, भारत सरकार, कार्मिक,लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय (कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग)- सदस्य</p>
4.	तस्कर और विदेशी मुद्रा छलसाधक (सम्पत्ति समपहरण) अधिनियम, 1976 (1976 का 13) के अधीन अपील अधिकरण	<p>(1) अपील अधिकरण का अध्यक्ष ऐसा व्यक्ति होगा जो उच्चतम न्यायालय का न्यायाधीश या किसी उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश रहा है या है ।</p> <p>(2) अपील अधिकरण का सदस्य ऐसा व्यक्ति होगा जो भारत सरकार में अपर सचिव की पंक्ति से नीचे का न हो या जो किसी समतुल्य या उच्चतर पद पर दो वर्ष रहा हो और जिसने न्यायिक, अर्द्धन्यायिक या न्यायनिर्णयन के कृत्यों का निर्वहन तीन वर्ष के लिए किया हो ।</p>	<p>अध्यक्ष और सदस्य पद के लिए खोजबीन-सह-चयन समिति,-</p> <p>(i) भारत के मुख्य न्यायमूर्ति या उनके द्वारा नामनिर्दिष्ट उच्चतम न्यायालय का कोई न्यायाधीश - अध्यक्ष</p> <p>(ii)(क) अध्यक्ष की नियुक्ति की दशा में अपील अधिकरण का पदमुक्त अध्यक्ष-सदस्य;</p> <p>(ख) सदस्य की नियुक्ति की दशा में अपील अधिकरण का अध्यक्ष-सदस्य</p>



			<p>(iii) सचिव, भारत सरकार, कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय (कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग)– सदस्य;</p> <p>(iv) सचिव, भारत सरकार, वित्त मंत्रालय (राजस्व विभाग) – सदस्य</p>
5.	प्रशासनिक अधिकरण अधिनियम, 1985 (1985 का 13) के अधीन केन्द्रीय प्रशासनिक अधिकरण	<p>1. कोई व्यक्ति अध्यक्ष के रूप में नियुक्ति के लिए अर्हित नहीं होगा जब तक वह, -</p> <p>(क) किसी उच्च न्यायालय का न्यायाधीश नहीं है या नहीं रहा है; या</p> <p>(ख) जिसने केन्द्रीय प्रशासनिक अधिकरण में प्रशासनिक सदस्य या न्यायिक सदस्य के रूप में तीन वर्ष से अन्यून अवधि के लिए पद धारण नहीं किया है।</p> <p>2. कोई व्यक्ति,-</p> <p>(क) न्यायिक सदस्य के रूप में अर्हित नहीं होगा जब तक,-</p> <p>(i) वह किसी उच्च न्यायालय का न्यायाधीश नहीं है या नहीं रहा है; या</p> <p>(ii) जिसने भारत सरकार के विधि कार्य विभाग या विधायी विभाग के सचिव, जिसमें भारत के विधि आयोग का सदस्य – सचिव भी है, का पद कम से कम एक वर्ष तक धारण नहीं किया हो; या</p> <p>(iii) जिसने भारत सरकार के विधि कार्य विभाग या विधायी विभाग का अपर सचिव का पद कम से कम दो वर्ष तक धारण नहीं किया हो; या</p> <p>(iv) और जो दस वर्ष की संयुक्त अवधि के लिए जिला न्यायाधीश और अपर जिला न्यायाधीश नहीं रहा है।</p> <p>(ख) प्रशासनिक सदस्य के रूप में नियुक्ति के लिए अर्हित होगा, जब तक,-</p> <p>(i) उसने भारत सरकार के सचिव का पद या केन्द्रीय सरकार या किसी राज्य सरकार के अधीन कोई अन्य पद कम से कम एक वर्ष तक धारण नहीं किया हो और कम से कम एक वर्ष तक ऐसे पद के वेतनमान में नहीं हो जो भारत सरकार के सचिव के वेतनमान से कम न हो; या</p> <p>(ii) उसने भारत सरकार के अपर सचिव का पद या केन्द्रीय सरकार या किसी राज्य सरकार के अधीन कोई अन्य पद कम से कम दो वर्ष तक धारण नहीं किया हो और कम से कम दो वर्ष तक ऐसे पद के वेतनमान में नहीं हो जो भारत सरकार के अपर सचिव के वेतनमान से कम न हो:</p> <p>परंतु अखिल भारतीय सेवा के ऐसे अधिकारी, जो केन्द्रीय प्रतिनियुक्ति पर किसी निम्नतर पद पर थे या हैं, ऐसी तारीख से ऐसे अधिकारी को प्रोफार्मा प्रोन्नति या वास्तविक प्रोन्नति, जो भी पहले हो,</p>	<p>अध्यक्ष, न्यायिक सदस्य और प्रशासनिक सदस्य के पद के लिए खोजबीन-सह-चयन समिति:-</p> <p>(i) भारत के मुख्य न्यायमूर्ति या उनके द्वारा नामनिर्दिष्ट उच्चतम न्यायालय का कोई न्यायाधीश – अध्यक्ष;</p> <p>(ii) (क) अध्यक्ष की नियुक्ति की दशा में केन्द्रीय प्रशासनिक अधिकरण का पदमुक्त अध्यक्ष – सदस्य; या</p> <p>(ख) न्यायिक सदस्य या प्रशासनिक सदस्य की नियुक्ति की दशा में, केन्द्रीय प्रशासनिक अधिकरण का अध्यक्ष-सदस्य</p> <p>(iii) सचिव, भारत सरकार, कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय (कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग – सदस्य</p> <p>(iv) सदस्य, भारत सरकार, विधि और कार्य मंत्रालय, (विधि और कार्य विभाग)- सदस्य</p>

		यथास्थिति, सचिव या अपर सचिव के स्तर पर दी गई थी, यथास्थिति, सचिव या अपर सचिव का पद धारण किए हुए समझे जाएंगे और ऐसी तारीख के पश्चात् केन्द्रीय प्रतिनियुक्ति पर व्यतीत की गई अवधि इस खंड के प्रयोजन के लिए अर्हक सेवा के लिए गिनी जाएगी।	
6.	रेल दावा अधिकरण अधिनियम, 1987 (1987 का 54) के अधीन रेल दावा अधिकरण।	<p>(1) कोई व्यक्ति अध्यक्ष के रूप में नियुक्ति के लिए तभी अर्हित होगा जब वह,-</p> <p>(क) किसी उच्च न्यायालय का न्यायाधीश है या रहा है; या</p> <p>(ख) यथास्थिति, उपाध्यक्ष, न्यायिक सदस्य या तकनीकी सदस्य के रूप में तीन वर्ष से अन्यून अवधि के लिए पदधारण किया है; या</p> <p>(2) कोई व्यक्ति उपाध्यक्ष (न्यायिक) के रूप में नियुक्ति के लिए तभी अर्हित होगा जब वह, -</p> <p>(क) किसी उच्च न्यायालय का न्यायाधीश है या रहा है; या</p> <p>(ख) भारतीय विधि सेवा का सदस्य रहा है और दो वर्ष के लिए अपर सचिव के पद या किसी समतुल्य या किसी उच्चतर पद पर धारण किया है; या</p> <p>(ग) दो वर्ष से अन्यून अवधि के लिए कोई सिविल न्यायिक पद धारण किया है, जिसका वेतनमान भारत सरकार के अपर सचिव के वेतनमान से कम नहीं है; या</p> <p>(घ) न्यायिक सदस्य के रूप में तीन वर्ष से अन्यून अवधि के लिए पद धारण किया है।</p> <p>(3) कोई व्यक्ति उपाध्यक्ष (तकनीकी) के रूप में नियुक्ति के तभी अर्हित होगा जब उसने,-</p> <p>(क) तीन वर्ष से अन्यून अवधि के लिए तकनीकी सदस्य के रूप में पद धारण किया हो; या</p> <p>(ख) रेल प्रशासन के अधीन दो वर्ष की अन्यून अवधि के लिए ऐसा पद धारण किया है जिसका वेतनमान भारत सरकार के अपर सचिव के वेतनमान से कम नहीं है और जिसे रेल से सम्बन्धित दावों और वाणिज्यिक विषयों के नियमों और प्रक्रियाओं का पर्याप्त ज्ञान है और इनमें पर्याप्त अनुभव रखता है।</p> <p>(4) कोई व्यक्ति न्यायिक सदस्य के रूप में नियुक्ति के लिए तभी अर्हित होगा जब वह,-</p> <p>(क) किसी उच्च न्यायालय का न्यायाधीश है या रहा है; या</p> <p>(ख) जिसने जिला न्यायाधीश और अपर न्यायाधीश के पद के लिए दस वर्ष की सयुक्त अवधि का पद धारण किया है।</p> <p>(5) कोई व्यक्ति तकनीकी सदस्य के रूप में नियुक्ति के लिए तभी अर्हित होगा, जब वह,-</p>	<p>अध्यक्ष, उपाध्यक्ष (न्यायिक), उपाध्यक्ष (तकनीकी), न्यायिक सदस्य और तकनीकी सदस्य के पद के लिए निम्नलिखित से मिलकर बनी खोजबीन - सह-चयन समिति:-</p> <p>(i) भारत का मुख्य न्यायमूर्ति या उसके द्वारा नामनिर्देशित उच्चतम न्यायालय का न्यायाधीश- अध्यक्ष;</p> <p>(ii) (क) अध्यक्ष की नियुक्ति के मामले में, रेल दावा अधिकरण का पदमुक्त अध्यक्ष-सदस्य : या</p> <p>(ख) उपाध्यक्ष (न्यायिक), उपाध्यक्ष (तकनीकी), न्यायिक सदस्य, या तकनीकी सदस्य, की नियुक्ति के मामले में अध्यक्ष, रेल दावा अधिकरण -सदस्य</p> <p>(iii) रेल बोर्ड का सदस्य (ट्रेफिक)- सदस्य ; अथवा</p> <p>(iv) सचिव, भारत सरकार, विधि और न्याय मंत्रालय (विधि कार्य विभाग) - सदस्य</p>

		योग्य और ईमानदार तथा अनुभवी व्यक्ति है और रेल से सम्बन्धित वाणिज्यिक विषयों के नियमों और प्रक्रियाओं का विशेष ज्ञान रखता हो और उनमें पच्चीस वर्ष से अन्यून अवधि का अनुभव रखता हो।	
7.	भारतीय प्रतिभूति विनियम बोर्ड अधिनियम, 1992 (1992 का 15) के अधीन प्रतिभूति अपील अधिकरण	<p>1. कोई व्यक्ति प्रतिभूति अपील अधिकरण के पीठासीन अधिकारी या न्यायिक सदस्य या तकनीकी सदस्य के रूप में नियुक्ति के लिए तभी अर्हित होगा जबतक वह,-</p> <p>(क) पीठासीन अधिकारी के मामले में उच्चतम न्यायालय का न्यायाधीश या उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायमूर्ति है या रहा है;</p> <p>(ख) न्यायिक सदस्य के मामले में किसी उच्च न्यायालय का न्यायाधीश है या रहा है; या</p> <p>(ग) तकनीकी सदस्य के मामले में-</p> <p>(i) केन्द्रीय सरकार के मंत्रालय या विभाग में दो वर्ष के लिए अपर सचिव या सचिव है या रहा है या केन्द्रीय सरकार या राज्य सरकार में कोई समतुल्य पद धारण कर रहा है; या</p> <p>(ii) साबित योग्य, ईमानदार और अनुभव वाला व्यक्ति, जिसको वित्तीय सेक्टर, जिनके अन्तर्गत प्रतिभूति बाजार या पेंशन निधि या वस्तु व्युत्पन्न या बीमा भी हैं, में विशेष ज्ञान रखता है और उनमें पच्चीस वर्ष से अन्यून अवधि का वृत्तिक अनुभव रखता हो।</p> <p>2. बोर्ड या बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण या पेंशन निधि विनियामक और विकास प्राधिकरण का कोई सदस्य या अंशकालिक सदस्य या बोर्ड में या ऐसे प्राधिकरणों में कार्यपालक निदेशक के समतुल्य ज्येष्ठ प्रबंध स्तर पर कोई व्यक्ति अपनी सेवा या कार्यकाल के दौरान प्रतिभूति अपील अधिकरण का पीठासीन अधिकारी या सदस्य के रूप में, यथास्थिति, ऐसे बोर्ड या ऐसे प्राधिकरणों को उस रूप में या उस तारीख से, जिसको वह बोर्ड में या ऐसे प्राधिकरणों में उस रूप में पद पर नहीं रह जाता है, से दो वर्ष के भीतर नियुक्त नहीं किया जाएगा।</p> <p>3. प्रतिभूति अपील अधिकरण का पीठासीन अधिकारी या सदस्य ऐसा व्यक्ति होगा जो ऐसा कोई वित्तीय या अन्य हित नहीं रखता है जिससे पीठासीन अधिकारी या सदस्य के रूप में उनके कृत्यों पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ने की सम्भावना है।</p>	<p>पीठासीन अधिकारी, न्यायिक सदस्य और तकनीकी सदस्य के पद के लिए खोजबीन- सह- चयन समिति ;</p> <p>(i) भारत का मुख्य न्यायमूर्ति या उसके द्वारा नामनिर्देशित उच्चतम न्यायालय का न्यायाधीश- अध्यक्ष;</p> <p>(ii) (क) पीठासीन अधिकारी की नियुक्ति के मामले में प्रतिभूति अपील अधिकरण का पदमुक्त पीठासीन अधिकारी - सदस्य</p> <p>(ख) न्यायिक सदस्य या तकनीकी सदस्य की नियुक्ति के मामले में प्रतिभूति अपील अधिकरण का पदमुक्त पीठासीन अधिकारी-सदस्य ;</p> <p>(iii) सचिव, भारत सरकार, वित्त मंत्रालय (वित्तीय सेवा विभाग) - सदस्य ; और</p> <p>(iv) सचिव, भारत सरकार वित्त मंत्रालय (राजस्व विभाग) - सदस्य</p>
8.	बैंकों और वित्तीय संस्थाओं को शोधय ऋण वसूली अधिनियम, 1993 (1993 का 51) के अधीन ऋण वसूली अधिकरण	कोई व्यक्ति ऋण वसूली अधिकरण के पीठासीन अधिकारी के रूप में नियुक्ति के लिए तभी अर्हित होगा जब तक वह, जिला न्यायाधीश है या रहा है-	<p>ऋण वसूली अधिकरण के पीठासीन अधिकारी के पद के लिए खोजबीन-सह-चयन समिति:-</p> <p>(i) भारत का मुख्य न्यायमूर्ति या उसके द्वारा नामनिर्देशित उच्चतम न्यायालय का न्यायाधीश- अध्यक्ष;</p> <p>(ii) ऋण वसूली अधिकरण का पदमुक्त</p>

			पीठासीन अधिकारी- सदस्य  (iii) सचिव, भारत सरकार, वित्त मंत्रालय (आर्थिक कार्य विभाग) – सदस्य; और  (iv) सचिव भारत सरकार, कार्पोरेट कार्य मंत्रालय- सदस्य ।
9.	बैंकों और वित्तीय संस्थाओं को शोध ऋण वसूली अधिनियम, 1993 (1993 का 51) के अधीन ऋण वसूली अपील अधिकरण	कोई व्यक्ति अध्यक्ष के रूप में नियुक्ति के लिए तभी अर्हित होगा जबतक वह,-  (क) किसी उच्च न्यायालय का न्यायाधीश है या रहा है; या (ख) भारतीय विधि सेवा का सदस्य रहा है और दो वर्ष के लिए अपर सचिव के पद या कोई समतुल्य पद या कोई उच्चतर पद धारण किया है; या  (ग) ऋण वसूली अधिकरण के पीठासीन अधिकारी के रूप में तीन वर्ष तक पद धारण किया है।	ऋण वसूली अपील अधिकरण के अध्यक्ष के लिए खोजबीन-सह-चयन समिति:-  (i) भारत का मुख्य न्यायमूर्ति या उसके द्वारा नामनिर्देशित उच्चतम न्यायालय का न्यायाधीश- अध्यक्ष;  (ii) ऋण वसूली अपील अधिकरण का पदमुक्त अध्यक्ष –सदस्य  (iii) सचिव, भारत सरकार, वित्त मंत्रालय (आर्थिक कार्य विभाग) – सदस्य ; और  (iv) सचिव भारत सरकार, कार्पोरेट कार्य मंत्रालय- सदस्य ।
10.	भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण अधिनियम, 1994 (1994 का 55) के अधीन विमानपत्तन अपील अधिकरण	कोई व्यक्ति अध्यक्ष के रूप में नियुक्ति के लिए तभी पात्र होगा जबतक वह किसी उच्च न्यायालय का न्यायाधीश है या रहा है या-	विमानपत्तन अपील अधिकरण के अध्यक्ष पद के लिए खोजबीन-सह-चयन समिति:-  (i) भारत का मुख्य न्यायमूर्ति या उसके द्वारा नामनिर्देशित उच्चतम न्यायालय का अन्य न्यायाधीश- अध्यक्ष;  (ii) भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण का पदमुक्त अध्यक्ष-सदस्य ;  (iii) सचिव, भारत सरकार नागर विमानन मंत्रालय – सदस्य ;  सचिव, भारत सरकार, वित्त मंत्रालय (आर्थिक कार्य विभाग) – सदस्य ; और
11.	भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण अधिनियम, 1997 (1997 का 24) के अधीन दूरसंचार विवाद निपटान और अपील अधिकरण	कोई व्यक्ति अध्यक्ष के रूप में नियुक्ति के लिए तभी पात्र होगा जब तक वह –  (क) किसी उच्च न्यायालय का न्यायाधीश है या रहा है ; या  (ख) किसी उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायमूर्ति है या रहा है; या  2. कोई व्यक्ति सदस्य के रूप में नियुक्ति के लिए तभी अर्हित होगा जब वह योग्य, ईमानदार और अनुभवी व्यक्ति है और अर्थशास्त्र, कारबार, वाणिज्य, विधि, वित्त, लेखाकर्म, प्रबंध, उद्योग, लोक कार्य-कलाप, प्रशासन, दूरसंचार या किसी अन्य मामले, जो दूरसंचार विवाद निपटान और अपील अधिकरण के लिए उपयोगी है, का विशेष ज्ञान रखता हो और उनका पच्चीस वर्ष से अन्यून अवधि के लिए वृत्तिक अनुभव रखता हो।	अध्यक्ष और सदस्य के पद के लिए खोजबीन-सह-चयन समिति:-  (i) भारत का मुख्य न्यायमूर्ति या उसके द्वारा नामनिर्देशित उच्चतम न्यायालय का अन्य न्यायाधीश- अध्यक्ष;  (ii) (क) अध्यक्ष की नियुक्ति के मामले में, दूरसंचार विवाद निपटान और अपील अधिकरण का पदमुक्त अध्यक्ष – सदस्य ; या  (ख) सदस्य की नियुक्ति के मामले में, दूरसंचार विवाद निपटान और अपील अधिकरण का अध्यक्ष – सदस्य ;  (iii) सचिव भारत सरकार (दूरसंचार विभाग) – सदस्य ; और  (iv) सचिव, भारत सरकार नागर विमानन मंत्रालय – सदस्य ;

12.	<p>व्यापार चिह्न अधिनियम, 1999 (1999 का 47) के अधीन अपील बोर्ड</p>	<p>1. कोई व्यक्ति अध्यक्ष के रूप में नियुक्ति के लिए तभी अर्हित होगा, जब तक वह , -</p> <p>(क) वह किसी उच्च न्यायालय का न्यायाधीश है या रहा है; या</p> <p>(ख) उसने अपील बोर्ड के उपाध्यक्ष का पद तीन वर्ष से अन्यून अवधि के लिए धारण किया है।</p> <p>2. कोई व्यक्ति उपाध्यक्ष के रूप में नियुक्ति के लिए तभी अर्हित होगा, जबतक वह , -</p> <p>(क) वह किसी उच्च न्यायालय का न्यायाधीश है या रहा है; या</p> <p>(ख) उसने न्यायिक सदस्य या तकनीकी सदस्य का पद दो वर्ष के लिए धारण किया है और उसके पास बार में व्यवसाय का बारह वर्ष के अनुभव या राज्य न्यायिक सेवा में बारह वर्ष के अनुभव के साथ विधि की डिग्री है।</p> <p>3. कोई व्यक्ति न्यायिक सदस्य के रूप में नियुक्ति के लिए तभी अर्हित होगा, जब , -</p> <p>(क) वह किसी उच्च न्यायालय का न्यायाधीश है या रहा है;</p> <p>(ख) दस वर्ष की संयुक्त अवधि के लिए जिला न्यायाधीश और अपर जिला न्यायाधीश रहा है।</p> <p>4. कोई व्यक्ति तकनीकी सदस्य (व्यापार चिह्न) के रूप में नियुक्ति के लिए तभी अर्हित होगा, जब , -</p> <p>(क) उसने कम से कम 10 वर्ष के लिए व्यापार चिह्न अधिनियम, 1999 (1999 का 47) के अधीन किसी अधिकरण के कृत्यों का निर्वहन किया है और उसने कम से कम 5 वर्ष की अवधि के लिए रजिस्ट्रार से अन्यून पंक्ति का कोई पद धारण किया है और उसके पास बार में व्यवसाय का बारह वर्ष के अनुभव या राज्य न्यायिक सेवा में बारह वर्ष के अनुभव के साथ विधि की डिग्री है , या</p> <p>(ख) वह पच्चीस वर्ष के लिए व्यापार चिह्न विधि में सिद्ध विशिष्ट अनुभव के साथ अधिवक्ता रहा है।</p> <p>5. कोई व्यक्ति तकनीकी सदस्य (पेटेन्ट) के रूप में नियुक्ति के लिए तभी अर्हित होगा, जब , -</p> <p>(क) उसने पांच वर्ष के लिए पेटेन्ट अधिनियम, 1970 (1970 का 39) के अधीन कोई पद धारण किया है या उसके अधीन नियंत्रक के कृत्यों का निर्वहन किया है; या</p> <p>(ख) उसने पच्चीस वर्ष के लिए रजिस्ट्रीकृत पेटेन्ट अभिकर्ता के रूप में कार्यकरण किया है और उसके पास तत्समय प्रवृत्त किसी विधि के अधीन स्थापित विश्वविद्यालय से इंजीनियरी या प्रौद्योगिकी में डिग्री या विज्ञान में मास्टर की डिग्री है।</p>	<p>(अ). अपील बोर्ड के अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, न्यायिक सदस्य और तकनीकी सदस्य के पद के लिए खोजबीन-सह-चयन समिति :-</p> <p>(i) भारत का मुख्य न्यायमूर्ति या उसके द्वारा नामनिर्देशित उच्चतम न्यायालय का अन्य न्यायाधीश - अध्यक्ष</p> <p>(ii) (क) अध्यक्ष की नियुक्ति के मामले में अपील बोर्ड का पदमुक्त अध्यक्ष -सदस्य या</p> <p>(ख) अपीलीय बोर्ड के उपाध्यक्ष, न्यायिक सदस्य, तकनीकी सदस्य (व्यापार चिह्न), तकनीकी सदस्य (पेटेन्ट) और तकनीकी सदस्य (कॉपी राइट) की नियुक्ति के मामले में अपीलीय बोर्ड का अध्यक्ष -सदस्य</p> <p>(iii) सचिव, भारत सरकार (औद्योगिक नीति और संवर्धन विभाग) -सदस्य; और</p> <p>(iv) सचिव भारत सरकार उपभोक्ता मामले खाद और सार्वजनिक वितरण विभाग -सदस्य</p>
-----	--	---	--

		<p>(6). कोई व्यक्ति तकनीकी सदस्य (प्रतिलिप्यधिकार) के रूप में नियुक्ति के लिए अर्हित नहीं होगा, जब तक,-</p> <p>(क) वह भारतीय विधिक सेवा का सदस्य नहीं है या नहीं रहा है और अपर सचिव या समतुल्य या कोई उच्चतर पद दो वर्ष के लिए धारण नहीं कर रहा है या पद धारण नहीं किया है; या</p> <p>(ख) उसने दस वर्ष की संयुक्त अवधि के लिए जिला न्यायाधीश और अपर जिला न्यायाधीश का पद धारण नहीं किया है ; या</p> <p>(ग) वह अधिकरण का सदस्य नहीं है या नहीं रहा है या वह भारत सरकार के अपर सचिव से अन्यून पंक्ति का सिविल सेवा का सदस्य नहीं है या नहीं रहा है, और जो प्रतिलिप्यधिकार के क्षेत्र में तीन वर्ष का अनुभव नहीं रखता है ; या</p> <p>(घ) प्रतिलिप्यधिकार विधि में सिद्ध विशिष्ट अनुभव के साथ पच्चीस वर्ष के लिए अधिवक्ता नहीं रहा है :</p> <p>परंतु अपील बोर्ड के एक सदस्य के पास, प्रतिलिप्यधिकार अधिनियम के प्रयोजनों के लिए ऊपर (क), (ख) या (घ) में दी गई अर्हता होगी ।</p>	
13.	कंपनी अधिनियम, 2013 (2013 का 18) के अधीन राष्ट्रीय कंपनी विधि अपील अधिकरण	<p>(1) अध्यक्ष ऐसा व्यक्ति होगा जो उच्चतम न्यायालय का न्यायाधीश है या रहा है या किसी उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायमूर्ति है या रहा है ।</p> <p>(2) न्यायिक सदस्य ऐसा व्यक्ति होगा जो किसी उच्च न्यायालय का न्यायाधीश है या रहा है या पांच वर्ष के लिए राष्ट्रीय कंपनी विधि अधिकरण का न्यायिक सदस्य है ।</p> <p>(3) तकनीकी सदस्य ऐसा व्यक्ति होगा, जिसके पास सिद्ध योग्यता, ईमानदारी और अनुभव है तथा जिसके पास विधि, औद्योगिक वित्त, औद्योगिक प्रबंध या प्रशासन, औद्योगिक पुनर्संनिर्माण, विनिधान, लेखाकर्म, या किसी ऐसे अन्य विषय में, जो राष्ट्रीय कंपनी विधि अपील अधिकरण के लिए उपयोगी है, के विशेष ज्ञान और कम से कम पच्चीस वर्ष का वृत्तिक अनुभव है ।</p>	<p>अध्यक्ष, न्यायिक सदस्य और तकनीकी सदस्य के पद के लिए खोजबीन-सह-चयन समिति :-</p> <p>(i) भारत का मुख्य न्यायमूर्ति या उसके द्वारा नामनिर्दिष्ट उच्चतम न्यायालय का न्यायाधीश - अध्यक्ष ;</p> <p>(ii)(क) अध्यक्ष की नियुक्ति के मामले में, राष्ट्रीय कंपनी विधि अपील अधिकरण का पद मुक्त अध्यक्ष सदस्य ; या</p> <p>(ख) न्यायिक सदस्य या तकनीकी सदस्य की नियुक्ति के मामले में राष्ट्रीय कंपनी विधि अपील अधिकरण का अध्यक्ष - सदस्य ।</p> <p>(iii) सचिव, भारत सरकार, कारपोरेट कार्य मंत्रालय-सदस्य ; और</p> <p>(iv) सचिव, भारत सरकार, वित्त मंत्रालय (वित्तीय सेवाएं विभाग) सदस्य।</p>
14.	आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) के अधीन अग्रिम विनिर्णय प्राधिकरण	<p>कोई व्यक्ति निम्नलिखित के रूप में नियुक्ति के लिए अर्हित होगा,--</p> <p>(क) अध्यक्ष, जो,</p> <p>(i) जो उच्चतम न्यायालय का न्यायाधीश है या रहा है ; या</p> <p>(ii) किसी उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायमूर्ति है या रहा है; या</p> <p>(ख) उपाध्यक्ष, जो किसी उच्च न्यायालय का</p>	<p>अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, विधि सदस्य और राजस्व सदस्य के पद के लिए खोजबीन-सह-चयन समिति:-</p> <p>(i) भारत के मुख्य न्यायमूर्ति या उसके द्वारा नामनिर्दिष्ट उच्चतम न्यायालय का कोई न्यायाधीश - अध्यक्ष ;</p> <p>(ii)(क) अध्यक्ष की नियुक्ति के मामले में</p>

		<p>न्यायाधीश है या रहा है ;</p> <p>(ग) विधि सदस्य जो दस वर्ष की संयुक्त अवधि के लिए जिला न्यायाधीश और अपर जिला न्यायाधीश रहा है ; या</p> <p>(घ) भारतीय राजस्व सेवा से राजस्व सदस्य, जो केन्द्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड का सदस्य होने के लिए अर्हित है और भारतीय सीमा शुल्क और केन्द्रीय उत्पाद शुल्क सेवा का कोई ऐसा अधिकारी, जो केन्द्रीय अप्रत्यक्ष कर और सीमा शुल्क बोर्ड का सदस्य होने के लिए अर्हित है और जिसने न्यायिक, और अर्ध न्यायिक या न्यायनिर्णयन कार्य तीन वर्ष तक किया है ।</p>	<p>अग्रिम विनिर्णय प्राधिकरण का पद मुक्त अध्यक्ष-- सदस्य ; या</p> <p>(ख) उपाध्यक्ष, विधि सदस्य या राजस्व सदस्य की नियुक्ति के मामले में अग्रिम विनिर्णय प्राधिकरण का अध्यक्ष-सदस्य ;</p> <p>(iii) सचिव, भारत सरकार, वित्त मंत्रालय (राजस्व विभाग) - सदस्य ; और</p> <p>(iv) सचिव, भारत सरकार, कार्मिक लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय (कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग) -- सदस्य ।</p>
15.	चलचित्र अधिनियम, 1952 (1952 का 37) के अधीन फिल्म प्रमाणन अपील अधिकरण	<p>(1). कोई व्यक्ति अध्यक्ष के रूप में नियुक्ति के लिए अर्हित नहीं होगा जब तक,-</p> <p>(क) वह किसी उच्च न्यायालय का न्यायाधीश नहीं है या नहीं रहा है ; या</p> <p>(ख) उसने सदस्य के रूप में कम से कम तीन वर्ष की अवधि के लिए पदधारण नहीं किया है ; या</p> <p>(2) जनता पर फिल्मों के प्रभाव को समझने के लिए अर्हित कोई व्यक्ति सदस्य के रूप में नियुक्ति के लिए अर्हित होगा ।</p>	<p>अध्यक्ष और सदस्य के पद के लिए खोजबीन-सह-चयन समिति,--</p> <p>(i) भारत के मुख्य न्यायमूर्ति या उसके द्वारा नामनिर्दिष्ट उच्चतम न्यायालय का न्यायाधीश —अध्यक्ष ;</p> <p>(ii) (क) अध्यक्ष की नियुक्ति के मामले में, अपील अधिकरण का पद मुक्त अध्यक्ष-सदस्य ; या</p> <p>(ख) सदस्य की नियुक्ति के मामले में, अपील अधिकरण का अध्यक्ष-सदस्य ;</p> <p>(iii) सचिव, भारत सरकार, सूचना और प्रसारण मंत्रालय-सदस्य ; और</p> <p>(iv) सचिव, भारत सरकार, संस्कृति मंत्रालय ।</p>
16.	उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम, 1986 (1986 का 68) के अधीन राष्ट्रीय उपभोक्ता विवाद समाधान आयोग	<p>(1). कोई व्यक्ति अध्यक्ष के रूप में नियुक्ति के लिए अर्हित नहीं होगा जब तक,--</p> <p>(क) वह उच्चतम न्यायालय का न्यायाधीश नहीं है या नहीं रहा है ; या</p> <p>(ख) वह किसी उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायमूर्ति नहीं है या नहीं रहा है ;</p> <p>(2) कोई व्यक्ति सदस्य की नियुक्ति के लिए अर्हित नहीं होगा, जब तक,--</p> <p>(क) वह उच्च न्यायालय का न्यायाधीश नहीं है या नहीं रहा है ; या</p> <p>(ख) वह दस वर्ष की संयुक्त अवधि के लिए जिला न्यायाधीश और अपर जिला न्यायाधीश नहीं रहा है ; या</p> <p>(ग) वह योग्य, ईमानदार और अनुभवी व्यक्ति नहीं है, जिसके पास अर्थशास्त्र, कारबार, वाणिज्य, विधि, वित्त, लेखाकर्म, प्रबंध, उद्योग, लोक कार्य, प्रशासन में या किसी ऐसे अन्य विषय में जो राष्ट्रीय उपभोक्ता विवाद समाधान आयोग के लिए उपयोगी है, विशेष ज्ञान और कम से कम पच्चीस वर्ष का वृत्तिक अनुभव नहीं है ।</p>	<p>राष्ट्रीय उपभोक्ता विवाद समाधान आयोग के अध्यक्ष और सदस्य के पद के लिए खोजबीन-सह-चयन समिति :--</p> <p>(i) भारत के मुख्य न्यायमूर्ति या उसके द्वारा नामनिर्दिष्ट उच्चतम न्यायालय का न्यायाधीश —अध्यक्ष ;</p> <p>(ii)(क) अध्यक्ष की नियुक्ति के मामले में, राष्ट्रीय उपभोक्ता विवाद समाधान आयोग का पद मुक्त अध्यक्ष—सदस्य ; या</p> <p>(ख) सदस्य की नियुक्ति के मामले में, राष्ट्रीय उपभोक्ता विवाद समाधान आयोग का अध्यक्ष -- सदस्य ;</p> <p>(iii) सचिव, भारत सरकार, उपभोक्ता कार्य, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय -- सदस्य ; और</p> <p>(iv) सचिव, भारत सरकार, वाणिज्य मंत्रालय (उद्योग संवर्धन और आंतरिक व्यापार विभाग) -- सदस्य ।</p>

17.	विद्युत अधिनियम, 2003 (2003 का 36) के अधीन विद्युत अपील अधिकरण	<p>(1) कोई व्यक्ति अपील अधिकरण के अध्यक्ष के रूप में नियुक्ति के लिए अर्हित नहीं होगा जब तक,--</p> <p>(क) वह किसी उच्च न्यायालय का न्यायाधीश नहीं है या नहीं रहा है ; या</p> <p>(ख) वह किसी उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायमूर्ति नहीं है या नहीं रहा है ।</p> <p>(2) कोई व्यक्ति न्यायिक सदस्य के रूप में नियुक्ति के लिए अर्हित नहीं होगा जब तक,--</p> <p>(क) वह किसी उच्च न्यायालय का न्यायाधीश नहीं है या नहीं रहा है ; या</p> <p>(ख) वह दस वर्ष की संयुक्त अवधि के लिए जिला न्यायाधीश और अपर जिला न्यायाधीश नहीं रहा है ।</p> <p>(3) कोई व्यक्ति तकनीकी सदस्य के रूप में नियुक्ति के लिए अर्हित नहीं होगा जब तक वह योग्य, ईमानदार और अनुभवी व्यक्ति नहीं है, जिसके पास विद्युत जनन, पारेषण, वितरण, विनियमन, अर्थशास्त्र, कारबार, वाणिज्य, विधि, वित्त, लेखाकर्म, प्रबंध, उद्योग, लोक कार्य, प्रशासन में या किसी ऐसे अन्य विषय में जो अपील अधिकरण के लिए उपयोगी है, विशेष ज्ञान और कम से कम पच्चीस वर्ष का वृत्तिक अनुभव नहीं है ।</p>	<p>अध्यक्ष, न्यायिक सदस्य और तकनीकी सदस्य के पद के लिए खोजबीन-सह-चयन समिति :--</p> <p>(i) भारत के मुख्य न्यायमूर्ति या उसके द्वारा नामनिर्दिष्ट उच्चतम न्यायालय का न्यायाधीश —अध्यक्ष ;</p> <p>(ii)(क) अध्यक्ष की नियुक्ति के मामले में, विद्युत अपील अधिकरण का पद मुक्त अध्यक्ष—सदस्य ; या</p> <p>(ख) न्यायिक सदस्य या तकनीकी सदस्य की नियुक्ति के मामले में, विद्युत अपील अधिकरण का अध्यक्ष -- सदस्य ;</p> <p>(iii) सचिव, भारत सरकार, विद्युत मंत्रालय -- सदस्य ; और</p> <p>(iv) सचिव, भारत सरकार, पेट्रोलियम मंत्रालय - सदस्य ।</p>
18.	सशस्त्र बल अधिनियम, 2007 (2007 का 55) के अधीन सशस्त्र बल अधिकरण	<p>(1) कोई व्यक्ति अध्यक्ष के रूप में नियुक्ति के लिए अर्हित नहीं होगा जब तक,--</p> <p>(क) वह उच्चतम न्यायालय का न्यायाधीश नहीं है या नहीं रहा है ; या</p> <p>(ख) किसी उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायमूर्ति नहीं है या नहीं रहा है ।</p> <p>(2) कोई व्यक्ति न्यायिक सदस्य के रूप में नियुक्ति के लिए अर्हित नहीं होगा जब तक वह किसी उच्च न्यायालय का न्यायाधीश नहीं है या नहीं रहा है ।</p> <p>(3) कोई व्यक्ति प्रशासनिक सदस्य के रूप में नियुक्ति के लिए अर्हित नहीं होगा जब तक,--</p> <p>(क) उसने तीन वर्ष की कुल अवधि के लिए सेना में मेजर जनरल या उससे ऊपर का या नौसेना या वायु सेना में समतुल्य रैंक का पद धारण नहीं किया है या धारण नहीं कर रहा है ; या</p> <p>(ख) उसने सेना या नौसेना या वायु सेना में एक वर्ष से अन्यून अवधि के लिए जज एडवोकेट जनरल के रूप में सेवा नहीं की है और वह क्रमशः मेजर जनरल, कोमोडोर और एयर कोमोडोर की पंक्ति से निम्न पंक्ति का नहीं है ; या</p> <p>(ग) वह योग्य, ईमानदार और अनुभवी व्यक्ति नहीं है, जिसके पास अर्थशास्त्र, कारबार, वाणिज्य, विधि, वित्त, लेखाकर्म, प्रबंध, उद्योग, लोक कार्य, प्रशासन में या किसी ऐसे अन्य विषय में जो सशस्त्र बल अधिकरण के लिए उपयोगी है, विशेष ज्ञान और तीस वर्ष से अन्यून का वृत्तिक अनुभव नहीं है ।</p>	<p>अध्यक्ष, न्यायिक सदस्य और प्रशासनिक सदस्य के पद के लिए खोजबीन-सह-चयन समिति :--</p> <p>(i) भारत के मुख्य न्यायमूर्ति या उसके द्वारा नामनिर्दिष्ट उच्चतम न्यायालय का न्यायाधीश —अध्यक्ष ;</p> <p>(ii)(क) अध्यक्ष की नियुक्ति के मामले में, सशस्त्र बल अधिकरण का पद मुक्त अध्यक्ष—सदस्य ; या</p> <p>(ख) न्यायिक सदस्य या प्रशासनिक सदस्य की नियुक्ति के मामले में, सशस्त्र बल अधिकरण का अध्यक्ष -- सदस्य ;</p> <p>(iii) सचिव, भारत सरकार, रक्षा मंत्रालय -- सदस्य ; और</p> <p>(iv) सचिव, भारत सरकार, कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय (कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग) - सदस्य।</p>



19.	राष्ट्रीय हरित अधिकरण अधिनियम, 2010 (2010 का 19) के अधीन राष्ट्रीय हरित अधिकरण	<p>(1) कोई व्यक्ति, अध्यक्ष के रूप में नियुक्ति के लिए अर्हित नहीं होगा जब तक,—</p> <p>(क) वह उच्चतम न्यायालय का न्यायाधीश नहीं है या नहीं रहा है ; या</p> <p>(ख) किसी उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायमूर्ति नहीं है या नहीं रहा है ।</p> <p>(2) कोई व्यक्ति न्यायिक सदस्य के रूप में नियुक्ति के लिए अर्हित नहीं होगा जब तक,—</p> <p>(क) वह किसी उच्च न्यायालय का न्यायाधीश नहीं है या नहीं रहा है ; या</p> <p>(ख) दस वर्ष की संयुक्त अवधि के लिए जिला न्यायाधीश और अपर जिला न्यायाधीश नहीं रहा है ।</p> <p>(3) कोई व्यक्ति विशेषज्ञ सदस्य के रूप में नियुक्ति के लिए अर्हित नहीं होगा जब तक,—</p> <p>(क) उसके पास विज्ञान में स्नातक डिग्री या स्नातकोत्तर डिग्री या डाक्टरेट डिग्री न हो तथा सुसंगत क्षेत्र में पच्चीस वर्ष का अनुभव न हो, जिसमें पर्यावरण और वन (जिसके अंतर्गत प्रदूषण नियंत्रण, परिसंकटमय पदार्थ प्रबंध, पर्यावरण समाघात निर्धारण, जलवायु परिवर्तन प्रबंध, जैविक विविधता प्रबंध और वन संरक्षण भी है) के क्षेत्र में किसी सुविख्यात राष्ट्रीय स्तर की संस्था में पांच वर्ष का व्यवहारिक अनुभव भी है ; या</p> <p>(ख) उसके पास पच्चीस वर्ष का प्रशासनिक अनुभव न हो, जिसमें पांच वर्ष का ऐसा अनुभव भी है, जो केंद्रीय सरकार या किसी राज्य सरकार या सुविख्यात राष्ट्रीय या राज्य स्तर की संस्था में पर्यावरण विषयों से संबंधित हो ।</p>	<p>राष्ट्रीय हरित अधिकरण के अध्यक्ष, न्यायिक सदस्य और विशेषज्ञ सदस्य के पद के लिए खोजबीन-सह-चयन समिति:-</p> <p>(i) भारत के मुख्य न्यायमूर्ति या उसके द्वारा नामनिर्दिष्ट उच्चतम न्यायालय का न्यायाधीश—अध्यक्ष ;</p> <p>(ii)(क) अध्यक्ष की नियुक्ति के मामले में, राष्ट्रीय हरित अधिकरण का पद मुक्त अध्यक्ष—सदस्य ; या</p> <p>(ख) न्यायिक सदस्य या विशेषज्ञ सदस्य की नियुक्ति के मामले में, राष्ट्रीय हरित अधिकरण का अध्यक्ष -- सदस्य ;</p> <p>(iii) सचिव, भारत सरकार, पर्यावरण और वन मंत्रालय -- सदस्य ; और</p> <p>(iv) सचिव, भारत सरकार, कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय (कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग) - सदस्य।</p>
-----	--	--	---

[फा. सं. ए-50050/9/2016-प्रशा.1ग(सीईएसटीएटी) पी.टी1]

ऋत्तिक पांडेय, संयुक्त सचिव

**MINISTRY OF FINANCE****(Department of Revenue)****NOTIFICATION**

New Delhi, the 12th February, 2020

**G.S.R. 109(E).**—In exercise of the powers conferred by section 184 of the Finance Act, 2017 (7 of 2017), the Central Government hereby makes the following rules, namely:—

**1. Short title, commencement and application.** - (1) These rules may be called the Tribunal, Appellate Tribunal and other Authorities (Qualifications, Experience and other Conditions of Service of Members) Rules, 2020.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

(3) These rules shall apply to the Chairman, Vice-Chairman, Chairperson, Vice-Chairperson, President, Vice-President, Presiding Officer, Accountant Member, Administrative Member, Judicial Member, Expert Member, Law Member, Revenue Member, Technical Member, Member of the Tribunal, Appellate Tribunal or, as the case may be, Authority as specified in column (2) of the Eighth Schedule of the Finance Act, 2017 (7 of 2017).

**2. Definitions.** - In these rules, unless the context otherwise requires, -

- (a) "Act" means an Act specified in column (3) of the Eighth Schedule of the Finance Act, 2017(7 of 2017);
- (b) "Accountant Member", "Administrative Member", "Judicial Member", "Expert Member", "Law Member", "Revenue Member" or "Technical Member" means the Accountant Member, Administrative Member, Judicial Member, Expert Member, Law Member, Revenue Member or Technical Member of the Tribunal, Appellate Tribunal or, as the case may be, Authority appointed under the corresponding provisions of the Act;
- (c) "Appellate Tribunal", "Authority" or "Tribunal" has the same meaning as assigned to it in the corresponding provisions of the Act;
- (d) "Chairman" or "Chairperson" or "President" means the Chairman, Chairperson or President of the Tribunal, Appellate Tribunal or, as the case may be, Authority appointed under the corresponding provisions of the Act;
- (e) "Member" means the Accountant Member, Administrative Member, Judicial Member, Expert Member, Law Member, Revenue Member or Technical Member and includes the Chairman, Vice-Chairman, Chairperson, Vice-Chairperson, Presiding Officer of the Security Appellate Tribunal, President or, as the case may be, Vice- President;
- (f) "Presiding Officer" means the Presiding Officer of the Security Appellate Tribunal appointed under section 15L of the Securities and Exchange Board of India Act, 1992 (15 of 1992), Presiding Officer of the Debts Recovery Tribunal appointed under sub-section (1) of section 4 of the Recovery of Debts due to Banks and Financial Institutions Act 1993, (51 of 1993) and Presiding Officer of the Industrial Tribunal appointed by the Central Government under sub-section (1) of section 7A of the Industrial Disputes Act, 1947 (14 of 1947);
- (g) "Search-cum-Selection Committee" means the Search-cum-Selection Committee referred to in rule 4;
- (h) "Vice-Chairman" or "Vice- Chairperson" or "Vice-President" means the Vice-Chairman, the Vice-Chairperson or Vice-President of the Tribunal, Appellate Tribunal or, as the case may be, Authority;
- (i) words and expressions used herein and not defined but defined in the Act shall have the same meanings respectively assigned to them in the respective Acts.

**3. Qualifications for appointment of Member.** – The qualification for appointment of the Chairman, Chairperson, President, Vice-Chairman, Vice- Chairperson, Vice-President, Presiding Officer, Accountant Member, Administrative Member, Judicial Member, Expert Member, Law Member, Revenue Member, Technical Member or Member of the Tribunal, Appellate Tribunal or, as the case may be, Authority shall be such as specified in column (3) of the Schedule annexed to these rules.

**4. Method of recruitment.**-(1) The Chairman, Chairperson, President, Vice-Chairman, Vice-Chairperson, Vice- President, Presiding Officer, Accountant Member, Administrative Member, Judicial Member, Expert Member, Law Member, Revenue Member, Technical Member or Member of the Tribunal, Appellate Tribunal or, as the case may be, Authority shall be appointed by the Central Government on the recommendation of a Search-cum-Selection Committee constituted for the Tribunal, appellate Tribunal or, as the case may be, Authority specified in column (4) of the said Schedule in respect of the Tribunal, Appellate Tribunal or as the case may be, Authority specified in column (2) of the said Schedule.

(2) The Search-cum-Selection Committee shall determine its procedure for making its recommendation and, after taking into account the suitability, record of past performance, integrity as well as adjudicatory experience keeping in view the requirements of the Tribunal, Appellate Tribunal or, as the case may be, Authority, recommend a panel of two or three persons for appointment to each post.

(3) No appointment of Chairman, Chairperson, President, Vice-Chairman, Vice-Chairperson, Vice-President, Presiding Officer, Accountant Member, Administrative Member, Judicial Member, Expert Member, Law Member, Revenue Member, Technical Member or Member of the Tribunal, Appellate Tribunal or Authorities shall be invalid merely by reason of any vacancy or absence in the Search-cum-Selection Committee.

(4) Nothing in this rule shall apply to the appointment of Chairman, Chairperson, President, Vice-Chairman, Vice-Chairperson, Vice-President, Presiding Officer, Accountant Member, Administrative Member, Judicial Member, Expert Member, Law Member, Revenue Member, Technical Member or Member of the Tribunal, Appellate Tribunal or, as the case may be, Authority functioning as such immediately before the commencement of these rules.

**5. Medical fitness.** - No person shall be appointed as the Chairman, Chairperson, President, Vice-Chairman, Vice-Chairperson, Vice-President, Presiding Officer, Accountant Member, Administrative Member, Judicial Member, Expert Member, Law Member, Revenue Member, Technical Member or Member of the Tribunal, Appellate Tribunal or Authority, or as the case may be unless he is declared medically fit by an authority specified by the Central Government in this behalf.

**6. Resignation by a Member.** -A Member may, by writing under his hand addressed to the Central Government, resign his office at any time:

Provided that the Member shall, unless he is permitted by the Central Government to relinquish office sooner, continue to hold office until the expiry of three months from the date of receipt of such notice or until a person duly appointed as a successor enters upon his office or until the expiry of his term of office, whichever is earlier.

**7. Removal of Member from office.** - The Central Government shall, on the recommendation of a Search-cum-Selection Committee, remove from office any Member, who-

- (a) has been adjudged as an insolvent; or
- (b) has been convicted of an offence which, involves moral turpitude; or
- (c) has become physically or mentally incapable of acting as such a Member; or
- (d) has acquired such financial or other interest as is likely to affect prejudicially his functions as a Member; or
- (e) has so abused his position as to render his continuance in office prejudicial to the public interest:

Provided that where a Member is proposed to be removed on any ground specified in clauses (b) to (e), he shall be informed of the charges against him and given an opportunity of being heard in respect of those charges.

**8. Procedure for inquiry of misbehavior or incapacity of the Member.** - (1) If a written complaint received by the Central Government, alleging any definite charge of misbehavior or incapacity to perform the functions of the office in respect of a Chairman, Vice-Chairman, Chairperson, Vice-Chairperson, President, Vice-President, Presiding Officer, Accountant Member, Administrative Member, Judicial Member, Expert Member, Law Member, Revenue Member, Technical Member or Member, it shall make a preliminary scrutiny of such complaint.

(2) If on preliminary scrutiny, the Central Government is of the opinion that there are reasonable grounds for making an inquiry into the truth of any misbehavior or incapacity of a Chairman, Vice-Chairman, Chairperson, Vice-Chairperson, President, Vice-President, Presiding Officer, Accountant Member, Administrative Member, Judicial Member, Expert Member, Law Member, Revenue Member, Technical Member or Member, it shall make a reference to the Search-Cum-Selection Committee to conduct the inquiry.

(3) The Search-Cum-Selection Committee shall complete the inquiry within such time or such further time as may be specified by the Central Government.

(4) After the conclusion of the inquiry, the Search-Cum-Selection Committee shall submit its report to the Central Government stating therein its findings and the reasons therefor on each of the charges separately with such observations on the whole case as it may think fit.

(5) The Search-Cum-Selection Committee shall not be bound by the procedure laid down by the Code of Civil Procedure, 1908 (5 of 1908) but shall be guided by the principles of natural justice and shall have power to regulate its own procedure, including the fixing of date, place and time of its inquiry.

**9. Term of office of Member.** – (1) The Chairman, Chairperson or President shall hold office for a term of four years or till he attains the age of seventy years, whichever is earlier.

(2) The Vice-Chairman, Vice-Chairperson, Vice President, Presiding Officer, Accountant Member, Administrative Member, Judicial Member, Expert Member, Law Member, Revenue Member, Technical Member or, as the case may be, Member shall hold office for a term of four years or till he attains the age of sixty-five years, whichever is earlier.

**10. Casual vacancy.** – (1) In case of a casual vacancy in the office of, -

(a) the Chairman, Chairperson, President, or Presiding Officer of the Security Appellate Tribunal, the Central Government shall have the power to appoint the senior most Vice-Chairperson or Vice-Chairman, Vice-President or in his absence, one of the Accountant Member, Administrative Member, Judicial Member, Expert Member, Law Member, Revenue Member, Technical Member, or Member of the Tribunal, Appellate Tribunal or, as the case may be, Authority to officiate as Chairperson, Chairman, President or Presiding Officer.

(b) the Chairperson of the Debts Recovery Appellate Tribunal, the Central Government shall have power to appoint the Chairperson of another Debts Recovery Appellate Tribunal to officiate as Chairperson and in case of a casual vacancy in the office of the Presiding Officer of the Debts Recovery Tribunal, the Chairperson of the Debts Recovery Appellate Tribunal shall have power to appoint the Presiding Officer of another Debts Recovery Appellate Tribunal to officiate as Presiding Officer.

**11. Salary and allowances.** - (1) The Chairman, Chairperson or President of the Tribunal, Appellate Tribunal or, as the case may be, Authority or the Presiding Officer of the Security Appellate Tribunal shall be paid a salary of Rs. 2,50,000 (fixed) and other allowances and benefits as are admissible to a Central Government officer holding posts carrying the same pay.

(2) The Vice-Chairman, Vice-Chairperson, Vice-President, Accountant Member, Administrative Member, Judicial Member, Expert Member, Law Member, Revenue Member, Technical Member or, as the case may be, Member shall be paid a salary of Rs. 2,25,000 and shall be entitled to draw allowances as are admissible to a Government of India officer holding Group 'A' post carrying the same pay.

(3) A Presiding Officer of the Debts Recovery Tribunal or a Presiding Officer of the Industrial Tribunal constituted by the Central Government shall be paid a salary of Rs. 1,44,200 – 2,18,200 and shall be entitled to draw allowances as are admissible to a Government of India officer holding Group 'A' post carrying the same pay.

(4) In case of a person appointed as the Chairman, Chairperson, President, Vice-Chairman, Vice-Chairperson, Vice President, Presiding Officer, Accountant Member, Administrative Member, Judicial Member, Expert Member, Law Member, Revenue Member, Technical Member or Member, as the case may be, is in receipt of any pension, the pay of such person shall be reduced by the gross amount of pension drawn by him.

**12. Pension, Gratuity and Provident Fund.** - (1) In case of a serving Judge of the Supreme Court or a High Court or a Judicial Member of the Tribunal or a member of the Indian Legal Service or a member of an organised Service appointed to the post of the Chairperson, Chairman, President or Presiding Officer of the Security Appellate Tribunal, the service rendered in the Tribunal, Appellate Tribunal or, as the case may be, Authority shall count for pension to be drawn in accordance with the rules of the service to which he belongs and he shall be governed by the provisions of the General Provident Fund (Central Services) Rules, 1960 and the rules for pension applicable to him.

(2) In all other cases, the Accountant Member, Administrative Member, Judicial Member, Expert Member, Law Member, Revenue Member, Technical Member or Member shall be governed by the provisions of the Contributory Provident Fund (India) Rules, 1962 and the Contribution Pension System.

(3) Additional pension and gratuity shall not be admissible for service rendered in the Tribunal, Appellate Tribunal or, as the case may be, Authority.

**13. Leave. - (1)** The Chairman, Chairperson, President, Vice-Chairman, Vice- Chairperson, Vice-President, Accountant Member, Administrative Member, Judicial Member, Expert Member, Law Member, Revenue Member, Technical Member, Presiding Officer or a Member shall be entitled to thirty days of earned Leave for every year of service.

(2) Casual Leave not exceeding eight days may be granted to the Chairman, Chairperson, President, Vice-Chairman, Vice- Chairperson, Vice President, Accountant Member, Administrative Member, Judicial Member, Expert Member, Law Member, Revenue Member, or Technical Member, Presiding Officer or a Member in a calendar year.

(3) The payment of leave salary during leave shall be governed by rule 40 of the Central Civil Services (Leave) Rules, 1972.

(4) The Chairman, Chairperson, President, Vice-Chairman, Vice- Chairperson, Vice President, Presiding Officer, Accountant Member, Administrative Member, Judicial Member, Expert Member, Law Member, Revenue Member, Technical Member or Member shall be entitled to encashment of leave in respect of the earned Leave standing to his credit, subject to the condition that maximum leave encashment, including the amount received at the time of retirement from previous service shall not in any case exceed the prescribed limit under the Central Civil Service ( Leave) Rules,1972.

**14. Leave sanctioning authority. - (1)** Leave sanctioning authority, -

(a) for the Vice-Chairman, Vice-Chairperson, Vice-President, Presiding Officer of the Debts Recovery Tribunal and Industrial Tribunal, Accountant Member, Administrative Member, Judicial Member, Expert Member, Law Member, Revenue Member, Technical Member or Member shall be Chairman, Chairperson or, as the case may be, President; and

(b) for the Chairman, Chairperson, Presiding Officer of Security Appellate Tribunal or President, shall be the Central Government, who shall also be sanctioning authority for Accountant Member, Administrative Member, Judicial Member, Expert Member or Member in case of absence of Chairman, Chairperson, Presiding Officer of Security Appellate Tribunal or President.

(2) The Central Government shall be the sanctioning authority for foreign travel to the Chairman, Chairperson, President, Vice-Chairman, Vice- Chairperson, Vice President, Accountant Member, Administrative Member, Judicial Member, Expert Member, Technical Member, Presiding Officer or a Member.

**15. House rent allowance. -** The Chairman, Chairperson, President, Vice-Chairman, Vice-Chairperson, Vice President, Presiding Officer, Accountant Member, Administrative Member, Judicial Member, Expert Member, Technical Member or Member shall be entitled to house rent allowance at the same rate are admissible to a Government of India officer holding Group 'A' post carrying the same pay .

**16. Transport allowance. -** The Chairman, Chairperson, President, Vice-Chairman, Vice-Chairperson, Vice President, Accountant Member, Administrative Member, Judicial Member, Expert Member, Technical Member, Presiding Officer or Member shall be entitled to the facility of staff car for journeys for official and private purposes in accordance with the facilities as are admissible to a Government of India officer holding Group 'A' post carrying the same pay as per the provisions of Staff Car Rules.

**17. Declaration of Financial and other Interests. -** The Chairman, Chairperson, President, Vice-Chairman, Vice- Chairperson, Vice President, Accountant Member, Administrative Member, Judicial Member, Expert Member, Technical Member, Presiding Officer or Member shall, before entering upon his office, declare his assets, and his liabilities and financial and other interests.

**18. Other conditions of service. - (1)** The terms and conditions of service of a Chairman, Chairperson, President, Vice-Chairman, Vice- Chairperson, Vice- President, Accountant Member, Administrative Member, Judicial Member, Expert Member, Technical Member, Presiding Officer or Member with respect to which no express provision has been made in these rules, shall be such as are admissible to a Government of India officer holding Group 'A' post carrying the same pay.

(2) The Chairman, Chairperson, President, Vice-Chairman, Vice-Chairperson, Vice-President, Administrative Member, Judicial Member, Expert Member, Technical Member, Presiding Officer or Member shall not practice before the Tribunal, Appellate Tribunal or Authority after retirement from the service of that Tribunal, Appellate Tribunal or, as the case may be, Authority.

(3) The Chairman, Chairperson, President, Vice-Chairman, Vice-Chairperson, Vice-President, Accountant Member, Administrative Member, Judicial Member, Expert Member, Technical Member, Presiding Officer or Member shall not undertake any arbitration work while functioning in these capacities in the Tribunal, Appellate Tribunal or Authority.

(4) The Chairman, Chairperson, President, Vice-Chairman, Vice-Chairperson, Vice-President, Presiding Officer, Accountant Member, Administrative Member, Judicial Member, Expert Member, Law Member, Revenue Member, Technical Member or Member of the Tribunal, Appellate Tribunal or, as the case may be, Authority shall not, for a period of two years from the date on which they cease to hold office, accept any employment in, or connected with the management or administration of, any person who has been a party to a proceeding before the Tribunal, Appellate Tribunal or, as the case may be, Authority:

Provided that nothing contained in this rule shall apply to any employment under the Central Government or a State Government or a local authority or in any statutory authority or any corporation established by or under any Central, State or Provincial Act or a Government company as defined in clause (45) of section 2 of the Companies Act, 2013 (18 of 2013).

**19. Oath of office and secrecy.** - Every person appointed to be the Chairman, Chairperson, President, Vice-Chairman, Vice-Chairperson, Vice-President, Accountant Member, Administrative Member, Judicial Member, Expert Member, Technical Member, Presiding Officer or Member shall, before entering upon his office, make and subscribe an oath of office and secrecy in Forms I and II annexed to these rules.

#### **FORM I**

**(See rule 19)**

Form of Oath of Office for Chairman/Vice-Chairman/ Chairperson/ Vice-Chairperson/ President/Vice-President/ Presiding Officer/ Administrative Member/ Judicial Member/ Expert Member / Law Member/ Revenue Member/ Technical Member, /Member of the (Name of the Tribunal/Appellate Tribunal/Authority)

I, A. B., having been appointed as Chairman/Vice-Chairman/ Chairperson/ Vice-Chairperson/ President/Vice-President/ Presiding Officer/ Accountant Member/ Administrative Member, Judicial Member/ Expert Member / Law Member/ Revenue Member/ Technical Member/ Member of the (Name of the Tribunal/Appellate Tribunal/Authority

do solemnly affirm/do swear in the name of God that I will faithfully and conscientiously discharge my duties as the Chairman/Vice-Chairman/ Chairperson/ Vice-Chairperson/ President/Vice-President/ Presiding Officer/ Accountant Member/ Administrative Member/ Judicial Member/ Expert Member / Law Member/ Revenue Member/ Technical Member/ Member (Name of the Tribunal/Appellate Tribunal/Authority) to the best of my ability, knowledge and judgment, without fear or favour, affection or ill-will and that I will uphold the Constitution and the laws of land.

#### **FORM II**

**(See rule 19)**

Form of Oath of Secrecy for Chairman/Vice-Chairman/ Chairperson/ Vice-Chairperson/ President/Vice-President/ Presiding Officer / Accountant Member/ Administrative Member/ Judicial Member/ Expert Member / Law Member/ Revenue Member/ Technical Member /Member of the (Name of Tribunal/Appellate Tribunal/Authority)

I, A. B., having been appointed as the Chairman/Vice-Chairman/ Chairperson/ Vice-Chairperson/ President/Vice-President/ Presiding Officer/Member of the(Name of Tribunal/Appellate Tribunal/Authority), do solemnly affirm/do swear in the name of God that I will not directly or indirectly communicate or reveal to any person or persons any matter which shall be brought under my consideration or shall become known to me as Chairman/Vice-Chairman/ Chairperson/ Vice-

Chairperson/ President/Vice-President/ Presiding Officer / Accountant Member/ Administrative Member, Judicial Member/ Expert Member / Law Member/ Revenue Member/ Technical Member /Member of the said (Name of Tribunal/Appellate Tribunal/Authority) except as may be required for the due discharge of my duties as the Chairman/Vice-Chairman/ Chairperson/ Vice-Chairperson/ President/Vice-President/ Presiding Officer/Member.

### SCHEDULE

(See rules 3 and 4)

Sl. No.	Name of Tribunal, Appellate Tribunal or Authority.	Qualification for appointment of Chairperson, Chairman, President, Vice-Chairperson, Vice-Chairman, Vice- President, Presiding Officer, Accountant Member, Administrative Member, Judicial Member, Expert Member or Technical Member or Member.	Composition of Search-cum-Selection Committee
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Industrial Tribunal constituted by the Central Government under the Industrial Disputes Act, 1947 (14 of 1947)	A person shall not be qualified for appointment as Presiding Officer, unless he,— (a) is, or has been, a Judge of a High Court; or (b)has, for a combined period of ten years, been a District Judge and Additional District Judge.	Search-cum-Selection- Committee for the post of the Presiding Officer, — (i) Chief Justice of India or a Judge of Supreme Court nominated by him - chairperson; (ii) Outgoing Presiding Officer of the National Industrial Tribunal - member; (iii) Secretary to the Government of India, Ministry of Labour and Employment -member; (iv) Secretary to the Government of India, Ministry of Commerce (Department for Promotion of Industry and Internal Trade) - member.
2.	Income-tax Appellate Tribunal under the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961)	(1) A person shall not be qualified for appointment as President unless he is a sitting or retired Judge of a High Court and who has completed not less than seven years of service as a Judge in a High Court or a Vice-President of the Income-tax Appellate Tribunal. (2) The Central Government may appoint one or more members of the Income-tax Appellate Tribunal to be the Vice-President or, as the case may be, Vice-Presidents thereof. (3) A person shall not be qualified for appointment as a Judicial Member, unless, — (a) he has, for a combined period of ten years, been a District Judge and Additional District Judge; or (b) he has been a member of the Indian Legal Service and has held a post of Additional Secretary or any equivalent or higher post for two years; or	Search-cum-Selection Committee for the post of the President, Vice-President, Accountant Member or Judicial Member - (i) Chief Justice of India or a Judge of the Supreme Court nominated by him - chairperson; (ii) (a) In case of appointment of President, the Outgoing President, Income-tax Appellate Tribunal-member; or (b) In case of appointment of Vice-President or Accountant Member or Judicial Member, the President, Income-tax Appellate Tribunal -member ; (iii) Secretary to the Government of India, Ministry of Law and Justice (Department of Legal Affairs) - member; and

		<p>(c) he has been an advocate for twenty-five years.</p> <p>(4) A person shall not be qualified for appointment as an Accountant Member, unless, —</p> <p>(i) he has for twenty-five years been in the practice of accountancy, -</p> <p>(a) as a chartered accountant under the Chartered Accountants Act, 1949 (38 of 1949); or</p> <p>(b) as a registered accountant under any law formerly in force; or partly as such registered accountant and partly as a chartered accountant; or</p> <p>(ii) he has been a member of the Indian Revenue Service (Income-tax Service Group 'A') and has held the post of Principal Commissioner of Income-tax or any equivalent or higher post for two years and has performed judicial, quasi-judicial or adjudicating function for three years.</p>	<p>(iv) Secretary to the Government of India, Ministry of Finance, (Department of Revenue) – member.</p>
3.	The Customs, Excise and Service Tax Appellate Tribunal under the Customs Act, 1962 (52 of 1962)	<p>(1) A person shall not be qualified for appointment as President unless, -</p> <p>(a) he is or has been a Judge of a High Court and who has completed not less than seven years of service as a Judge in a High Court; or</p> <p>(b) he is the member of the Appellate Tribunal.</p> <p>(2) A person shall not be qualified for appointment as a Judicial Member, unless, -</p> <p>(a) he has, for a combined period of ten years, been a District Judge and Additional District Judge; or</p> <p>(b) he has been a member of the Indian Legal Service and has held a post of Additional Secretary or any equivalent or higher post for two years; or</p> <p>(c) he has been an advocate for twenty-five years.</p> <p>(3) A person shall not be qualified for appointment as a Technical Member unless he has been a member of the Indian Revenue Service (Customs and Central Excise Service Group 'A') and has held the post of Principal Commissioner of Customs or Central Excise or any equivalent or higher post for two years and has performed judicial, quasi-judicial or adjudicating function for three years.</p>	<p>Search-cum-Selection Committee for the post of President, Judicial Member and Technical Member-</p> <p>(i) Chief Justice of India or a Judge of the Supreme Court nominated by him - chairperson;</p> <p>(ii)(a) In case of appointment of President, the Outgoing President of the Customs Excise and Service Tax Appellate Tribunal – member; or</p> <p>(b) In case of appointment of Judicial Member and Technical Member, the President, Customs and Excise and Service Tax Appellate Tribunal-member ;</p> <p>(iii) Secretary to the Government of India, Ministry of Finance (Department of Revenue)-member;</p> <p>(iv) Secretary to the Government of India, Ministry of Personal, Public Grievances and Pensions (Department of Personnel and Training) –member.</p>



4.	Appellate Tribunal under the Smugglers and Foreign Exchange Manipulators (Forfeiture of Property) Act, 1976 (13 of 1976)	<p>(1) The Chairman of the Appellate Tribunal shall be a person who is or has been a Judge of a Supreme Court or a Chief Justice of a High Court.</p> <p>(2) The Member of the Appellate Tribunal shall be a person not below the rank of Additional Secretary to the Government of India or any equivalent or higher post for two years and has performed judicial, quasi-judicial or adjudicating function for three years.</p>	<p>Search-cum-Selection Committee for the post of Chairman and Member, -</p> <p>(i) Chief Justice of India or a Judge of the Supreme Court nominated by him— chairperson;</p> <p>(ii)(a) in case of appointment of Chairman, the Outgoing Chairman of the Appellate Tribunal – member; or</p> <p>(b) in case of appointment of Member, the Chairman of the Appellate Tribunal-member;</p> <p>(iii) Secretary to the Government of India, Ministry of Personal, Public Grievances and Pensions (Department of Personnel and Training)- member;</p> <p>(iv) Secretary to the Government of India, Ministry of Finance (Department of Revenue)- member.</p>
5.	Central Administrative Tribunal under the Administrative Tribunal Act, 1985 (13 of 1985).	<p>(1) A person shall not be qualified for appointment as the Chairman, unless he, -</p> <p>(a) is, or has been, a Judge of a High Court; or</p> <p>(b) has, for a period of not less than three years, held office as Administrative Member or Judicial Member in the Central Administrative Tribunal;</p> <p>(2) A person shall not be qualified for appointment, -</p> <p>(a) as a Judicial Member, unless he, -</p> <p>(i) is, or has been, a Judge of a High Court; or</p> <p>(ii) has, for one year, held the post of Secretary to the Government of India in the Department of Legal Affairs or the Legislative Department including Member –Secretary, Law Commission of India; or</p> <p>(iii) has, for two years, held a post of Additional Secretary to the Government of India in the Department of Legal Affairs or Legislative Department; or</p> <p>(iv) has, for a combined period of ten years, been a District Judge and Additional District Judge.</p> <p>(b) as an Administrative Member, unless he, -</p> <p>(i) has, for one year, held the post of Secretary to the Government of India or any other post under the Central Government or a State Government and carrying the scale of pay which is</p>	<p>Search-cum-Selection Committee for the post of Chairman, Administrative Member and Judicial Member -</p> <p>(i) Chief Justice of India or Judge of the Supreme Court as nominated by him- chairperson;</p> <p>(ii)(a) in case of appointment of Chairman the Outgoing Chairman of the Central Administrative Tribunal – member; or</p> <p>(b) in case of appointment of Administrative Member and Judicial Member, the Chairman, Central Administrative Tribunal – member;</p> <p>(iii) Secretary to the Government of India, Ministry of Personal, Public Grievances and Pensions (Department of Personnel and Training) - member;</p> <p>(iv) Secretary to the Government of India, Ministry of Law and Justice, (Department of Legal Affairs) –member.</p>

		<p>not less than that of a Secretary to the Government of India for one year; or</p> <p>(ii) has, for two years, held a post of Additional Secretary to the Government of India, or any other post under the Central or State Government carrying the scale of pay which is not less than that of Additional Secretary to the Government of India for a period of two years:</p> <p>Provided that the officers belonging to the All-India services who were or are on Central deputation to a lower post shall be deemed to have held the post of Secretary or Additional Secretary, as the case may be, from the date such officers were granted proforma promotion or actual promotion whichever is earlier to the level of Secretary or Additional Secretary, as the case may be, and the period spent on Central deputation after such date shall count for qualifying service for the purpose of this clause.</p>	
6.	Railway Claims Tribunal under the Railway Claims Tribunal Act, 1987 (54 of 1987)	<p>(1) A person shall not be qualified for appointment as the Chairman, unless he, –</p> <p>(a) is, or has been, a Judge of a High Court; or</p> <p>(b) has, for a period of not less than three years, held office as Vice-Chairman, Judicial Member or Technical Member, as the case may be.</p> <p>(2) A person shall not be qualified for appointment as the Vice-Chairman(Judicial), unless he, –</p> <p>(a) is, or has been, a Judge of a High Court; or</p> <p>(b) has been a member of the Indian Legal Service and has held a post of Additional Secretary or any equivalent or any higher post for two years; or</p> <p>(c) has, for two years, held a civil judicial post carrying a scale of pay which is not less than that of an Additional Secretary to the Government of India; or</p> <p>(d) has, for a period of not less than three years, held office as a Judicial Member.</p> <p>(3) A person shall not be qualified for appointment as the Vice-Chairman (Technical), unless he, –</p> <p>(a) has, for a period of not less than three years, held office as a Technical Member;</p>	<p>Search-cum-Selection Committee consisting for the post of the Chairman, Vice-Chairman (Judicial), Vice-Chairman (Technical), Technical Member and Judicial Member: -</p> <p>(j) Chief Justice of India or Judge of the Supreme Court nominated by him - chairperson;</p> <p>(ii) (a) in case of appointment of Chairman, the Outgoing Chairman, Railway Claim Tribunal – member; or</p> <p>(b) in case of appointment of Vice-Chairman (Judicial), Vice-Chairman (Technical), Technical Member and Judicial Member, the Chairman Railway Claim Tribunal – member; or</p> <p>(iii) Member (Traffic) of the Railway Board- member;</p> <p>(iv) Secretary to the Government of India, Ministry of Law and Justice, (Department of Legal Affairs) – member.</p>

		<p>(b) has, for two years, held a post under a railway administration carrying a scale of pay which is not less than that of an Additional Secretary to the Government of India and has adequate knowledge of rules and procedure of, and experience in, claims and commercial matters relating to railways.</p> <p>(4) A person shall not be qualified for appointment as a Judicial Member, unless he, –</p> <p>(a) is, or has been, a Judge of a High Court;</p> <p>(b) has, for a combined period of ten years, been a District Judge and Additional District Judge.</p> <p>(5) A person shall not be qualified for appointment as a Technical Member unless he is a person of ability, integrity and standing having special knowledge of rules and procedure of, and experience in, claims and commercial matters relating to railways of not less than twenty-five years.</p>	
7.	Securities Appellate Tribunal under the Securities Exchange Board of India Act, 1992 (15 of 1992)	<p>(1) A person shall not be qualified for appointment as the Presiding Officer or a Judicial Member or a Technical Member of the Securities Appellate Tribunal, unless he, –</p> <p>(a) in the case of the Presiding Officer, is, or has been, a Judge of the Supreme Court or a Chief Justice of a High Court; or</p> <p>(b) in the case of a Judicial Member, is, or has been, a Judge of a High Court; or</p> <p>(c) in the case of a Technical Member,—</p> <p>(i) is, or has been, an Additional Secretary for two years or Secretary in the Ministry or Department of the Central Government or any equivalent post in the Central Government or a State Government; or</p> <p>(ii) is a person of proven ability, integrity and standing having special knowledge and professional experience, of not less than twenty-five years, in financial sectors including securities market or pension funds or commodity derivatives or insurance.</p> <p>(2) A Member or Part time Member of the Board or the Insurance Regulatory and Development Authority or the Pension Fund</p>	<p>Search and Selection Committee for Post of the Presiding Officer, Judicial Member and Technical Member.</p> <p>(i) Chief Justice of India or Judge of the Supreme Court of India nominated by him – chairperson;</p> <p>(ii) (a) in case of appointment of Presiding Officer, the Outgoing Presiding Officer of the Securities Appellate Tribunal– member;</p> <p>(b) in case of appointment of Judicial Member and Technical Member, the Presiding Officer of the Securities Appellate Tribunal– member; or</p> <p>(iii) Secretary to the Government of India, Ministry of Finance, (Department of Economic Affairs) – member; and</p> <p>(iv) Secretary to the Government of India, Ministry of Finance, (Department of Revenue) –member.</p>

		<p>Regulatory and Development Authority, or any person at senior management level equivalent to Executive Director in the Board or in such Authorities, shall not be appointed as Presiding Officer or Member of the Securities Appellate Tribunal, during his service or tenure as such with the Board or with such Authorities, as the case may be, or within two years from the date on which he ceases to hold office as such in the Board or in such Authorities.</p> <p>(3) The Presiding Officer or Member of the Securities Appellate Tribunal shall be a person who does not have any financial or other interest as are likely to prejudicially affect their functions as such Presiding Officer or Member.</p>	
8.	Debts Recovery Tribunal under the Recovery of Debts Due to Banks and Financial Institutions Act, 1993 (51 of 1993)	A person shall not be qualified for appointment as Presiding Officer of the Debts Recovery Tribunal, unless he, is, or has been, a District Judge.	<p>Search-cum-Selection Committee for the post of Presiding Officer of the Debts Recovery Tribunal, -</p> <p>(i) Chief Justice of India or Judge of the Supreme Court nominated by him-chairperson;</p> <p>(ii) Outgoing Presiding Officer of the Debts Recovery Tribunal – member;</p> <p>(iii) Secretary to the Government of India, Ministry of Finance (Department of Financial Services)- member; and</p> <p>(v)Secretary to the Government of India, Ministry of Corporate Affairs - member.</p>
9.	Debts Recovery Appellate Tribunal under the Recovery of Debts Due to Banks and Financial Institutions Act, 1993 (51 of 1993)	<p>A person shall not be qualified for appointment as Chairperson, unless he, —</p> <p>(a) is, or has been, a Judge of a High Court; or</p> <p>(b) has been a member of the Indian Legal Service and has held a post of Additional Secretary or any equivalent or any higher post for two years; or</p> <p>(c) has held office as the Presiding Officer of a Debts Recovery Tribunal for three years.</p>	<p>Search-cum-Selection Committee for the Chairperson of the Debts Recovery Appellate Tribunal, -</p> <p>(i) Chief Justice of India or any Judge of the Supreme Court as nominated by him - chairperson;</p> <p>(ii) Outgoing Chairperson of the Debts Recovery Appellate Tribunal – member;</p> <p>(ii) Secretary to the Government of India, Ministry of Finance (Department of Financial Services)– member;</p> <p>(iv)Secretary to the Government of India, Ministry of Corporate Affairs – member.</p>
10.	Airport Appellate Tribunal under the Airport Authority of India Act, 1994 (55 of 1994)	A person shall not be eligible for appointment as Chairperson, unless he, is, or has been, a judge of a High Court.	Search-cum-Selection Committee for the post of Chairperson of Airport Appellate Tribunal, —

			<p>(i) Chief Justice of India or any other judge of Supreme Court nominated by him -chairperson;</p> <p>(ii) Outgoing Chairperson of Airport Appellate Tribunal – member;</p> <p>(iii) Secretary to the Government of India, Ministry of Civil Aviation - member;</p> <p>(iv) Secretary to the Government of India, (Department of Economic Affairs) - member;</p>
11.	Telecom Disputes Settlement and Appellate Tribunal under the Telecom Regulatory Authority of India Act, 1997 (24 of 1997)	<p>(1) A person shall not be qualified for appointment as Chairperson, unless he, –</p> <p>(a) is, or has been, a Judge of Supreme Court; or</p> <p>(b) is, or has been, Chief Justice of a High Court.</p> <p>(2) A person shall not be qualified for appointment as Member unless he is a person of ability, integrity and standing having special knowledge of, and professional experience of, not less than twenty-five years in economics, business, commerce, law, finance, accountancy, management, industry, public affairs, administration, telecommunications or any other matter which is useful to the Telecom Disputes Settlement and Appellate Tribunal.</p>	<p>Search-cum-Selection Committee for the post of the Chairperson and Member, —</p> <p>(i) Chief Justice of India or any judge of the Supreme Court nominated by him -chairperson;</p> <p>(ii) (a) in case of appointment of Chairperson, the Outgoing Chairperson of the Telecom Disputes Settlement and Appellate Tribunal – member; or</p> <p>(b) in case of appointment of Member, the Chairperson of the Telecom Disputes Settlement and Appellate Tribunal – member; or</p> <p>(iii) Secretary to the Government of India, (Department of Telecommunications)- member;</p> <p>(iv) Secretary to the Government of India, Ministry of Civil Aviation - member</p>
12.	Appellate Board under the Trade Marks Act, 1999 (47 of 1999)	<p>(1) A person shall not be qualified for appointment as Chairman, unless he,-</p> <p>(a) is, or has been, a Judge of High Court; or</p> <p>(b) has, for a period of not less than three years, held office as Vice-Chairperson of the Appellate Board.</p> <p>(2) A person shall not be qualified for appointment as Vice-Chairman, unless he, -</p> <p>(a) is, or has been, a Judge of High Court; or</p> <p>(b) has, for two years, held the office of Judicial Member or a Technical Member, and has a degree in law with twelve years of practice at bar or twelve years' experience in a State Judicial Service.</p> <p>(3) A person shall not be qualified for appointment as Judicial Member, unless he, -</p>	<p>(A) Search-cum-Selection for the post of the Chairman, Vice-Chairman, Judicial Member and Technical Member of the Appellate Board, -</p> <p>(i) Chief Justice of India or any Judge of the Supreme Court nominated by him - chairperson;</p> <p>(ii) (a) in case of appointment of Chairman, the Outgoing Chairman of the Appellate Board– member; or</p> <p>(b) in case of appointment of Vice-Chairman, Judicial Member and Technical Member (Trade mark), Technical Member (Patent) and Technical Member(Copyright) of the Appellate Board, the Chairman of the Appellate Board-member;or</p> <p>(iii) Secretary to the Government of India, (Department for Promotion of Industry and Internal Trade) -member;</p>

	<p>(a) is, or has been, a Judge of High Court; or</p> <p>(b) has, for a combined period of ten years, been a District Judge and Additional District Judge.</p> <p>(4) A person shall not be qualified for appointment as Technical Member (Trademark), unless he, -</p> <p>(a) has, for ten years, exercised functions of a Tribunal under the Trade Marks Act, 1999 (47 of 1999) and has held a post not lower than the post of Registrar for five years and has a degree in law with twelve years' practice at bar or twelve years' experience in a State Judicial Service, or</p> <p>(b) has, for twenty-five years, been an advocate of a proven specialised experience in trade mark law.</p> <p>(5) A person shall not be qualified for appointment as Technical Member (Patent), unless he, -</p> <p>(a) has, for five years, held the post or exercised the functions of the Controller under the Patents Act, 1970 (39 of 1970); or</p> <p>(b) has, for twenty-five years, functioned as a registered patent agent and possesses a degree in engineering or technology or a master's degree in science from any University established under law for the time being in force.</p> <p>(6) A person shall not be qualified for appointment as Technical Member (Copyright), unless he, -</p> <p>(a) is, or has been a member of the Indian Legal Service and is holding, or has held a post of Additional Secretary or any equivalent or any higher post for two years; or</p> <p>(b) has, for a combined period of ten years, been a District Judge and Additional District Judge; or</p> <p>(c) is, or has been a member of a Tribunal or Civil Service not below the rank of an Additional Secretary to the Government of India with three years' experience in the field of Copyright; or</p> <p>(d) has, for twenty-five years, been an advocate of a proven specialized experience in Copyright Law:</p> <p>Provided that one member of the Appellate Board for purposes of the Copyright Act shall have qualification as in (a), (b) or (d) above.</p>	<p>(iv) Secretary to the Government of India, Ministry of Consumer Affairs Food and Public Distribution -member;</p>
--	--	--

13.	National Company Law Appellate Tribunal under the Companies Act, 2013 (18 of 2013).	<p>(1) The Chairperson shall be a person who is or has been a Judge of the Supreme Court or the Chief Justice of a High Court.</p> <p>(2) A Judicial Member shall be a person who is or has been a Judge of a High Court or is a Judicial Member of the National Company Law Tribunal for five years.</p> <p>(3) A Technical Member shall be a person of proven ability, integrity and standing having special knowledge and professional experience, of not less than twenty-five years, in law, industrial finance, industrial management or administration, industrial reconstruction, investment, accountancy or any other matter which is useful to the National Company Law Appellate Tribunal.</p>	<p>Search-Cum-Selection Committee for the post of Chairperson, Judicial Member and Technical Member –</p> <p>(i) Chief Justice of India or any Judge of the Supreme Court nominated by him – chairperson;</p> <p>(ii) (a) in case of appointment of Chairperson, the Outgoing Chairperson of the National Company Law Appellate Tribunal – member; or</p> <p>(b) in case of appointment of Judicial Member and Technical Member the Chairperson of the National Company Law Appellate Tribunal – member; or</p> <p>(iii) Secretary to the Government of India, Ministry of Corporate Affairs – member;</p> <p>(iv) Secretary to the Government of India, Ministry of Finance (Department of Financial Services)– member.</p>
14.	Authority for Advance Ruling under the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961)	<p>A person shall be qualified for appointment as, -</p> <p>(a) Chairman, who: -</p> <p>(i) is, or has been, a Judge of the Supreme Court; or</p> <p>(ii) is or has been a Chief Justice of a High Court.</p> <p>(b) Vice-chairman, who is, or has been, a Judge of a High Court;</p> <p>(c) Law Member, who has, for a combined period of ten years, been a District Judge and Additional District Judge; or</p> <p>(d) Revenue Member from the Indian Revenue Service who is qualified to be a Member of the Central Board of Direct Taxes and an officer of the Indian Customs and Central Excise Service, who is qualified to be a Member of the Central Board of Excise and Customs and has performed judicial, quasi-judicial or adjudicating function for three years.</p>	<p>Search-cum Selection Committee for the post of Chairman, Vice-Chairman, Law Member and Revenue Member -</p> <p>(i) Chief Justice of India or any Judge of the Supreme Court nominated by him – chairperson;</p> <p>(ii) (a) in case of appointment of Chairman, the Outgoing Chairman to the Authorities for Advance Ruling- member; or</p> <p>(b) in case of appointment of Vice-Chairman, Law Member and Revenue Member, the Chairman to the Authorities for Advance Ruling- member;</p> <p>(iii) Secretary to the Government of India, Ministry of Finance (Department of Revenue) - member; and</p> <p>(iv) Secretary to the Government of India, Ministry of Personal, Public Grievances and Pensions (Department of Personnel and Training) –member.</p>
15.	Film Certification Appellate Tribunal under the Cinematograph Act, 1952 (37 of 1952)	<p>(1) A person shall not be qualified for appointment as Chairman, unless he, -</p> <p>(a) is, or has been, a Judge of a High Court; or</p> <p>(b) has, for a period of not less than three years, held office as member.</p>	<p>Search-cum-Selection Committee for post of the Chairman and Member of the Appellate Tribunal, —</p> <p>(i) Chief Justice of India or any Judge of the Supreme Court nominated by him – chairperson;</p>

		(2) A person qualified to judge the effect of films on the public shall be qualified for appointment as a Member.	(ii) (a) in case of appointment of Chairman, the outgoing Chairman of the Appellate Tribunal-member; or (b) in case of appointment of Member, the Chairman of the Appellate Tribunal-member; (iii) Secretary to the Government of India, Ministry of Information and Broadcasting -member; and (iv) Secretary to the Government of India, Ministry of Culture-member.
16.	National Consumer Disputes Redressal Commission under the Consumer Protection Act, 1986 (68 of 1986)	(1) A person shall not be qualified for appointment as President, unless he, – (a) is, or has been, a Judge of the Supreme Court; or (b) is, or has been, Chief Justice of a High Court. (2) A person shall not be qualified for appointment as Member unless he,— (a) is, or has been, a Judge of a High Court; or (b) has, for a combined period of ten years, been a District Judge and Additional District Judge; or (c) is a person of ability, integrity and standing, and having special knowledge of, and professional experience of not less than twenty-five years in economics, business, commerce, law, finance, accountancy, management, industry, public affairs, administration or any other matter which is useful to the National Consumer Disputes Redressal Commission.	Search-cum-Selection Committee for post of the President and Member of the National Consumer Disputes Redressal Commission, - (i) Chief Justice of India or any Judge of the Supreme Court nominated by him – chairperson; (ii) (a) in case of appointment of President, the Outgoing President of National Consumer Disputes Redressal Commission- member; or (b) in case of appointment of Member, the President of National Consumer Disputes Redressal Commission- member; (iii) Secretary to the Government of India, Ministry of Consumer Affairs, Food and Public Distribution-member; and (iv) Secretary to the Government of India, Ministry of Commerce (Department for Promotion of Industry and Internal Trade)-member.
17.	Appellate Tribunal for Electricity under the Electricity Act, 2003 (36 of 2003).	(1) A person shall not be qualified for appointment as Chairperson of the Appellate Tribunal, unless he, — (a) is, or has been, a Judge of Supreme Court; or (b) is, or has been, Chief Justice of a High Court. (2) A person shall not be qualified for appointment as Judicial Member, unless, he— (a) is, or has been, a Judge of a High Court; or (b) has, for a combined period of ten years, been a District Judge and Additional District Judge. (3) A person shall not be qualified for appointment as Technical Member unless he is a person of ability, integrity and standing having special	Search-cum-Selection Committee for the post of Chairperson, Judicial Member and Technical Member — (i) Chief Justice of India or any Judge of the Supreme Court nominated by him – chairperson; (ii) (a) in case of appointment of Chairperson, the Outgoing Chairperson of the Appellate Tribunal for Electricity - member; or (b) in case of appointment of Judicial Member and Technical Member, the Chairperson of the Appellate Tribunal for Electricity - member; (iii) Secretary to the Government of India, Ministry Power-member; and



		knowledge of, and professional experience of, not less than twenty-five years in matters dealing with electricity generation, transmission, distribution, regulation, economics, business, commerce, law, finance, accountancy, management, industry, public affairs, administration or in any other matter which is useful to the Appellate Tribunal.	(iv) Secretary to the Government of India, Ministry of Petroleum -member.
18.	Armed Forces Tribunal under the Armed Forces Act, 2007 (55 of 2007)	<p>(1) A person shall not be qualified for appointment as Chairperson, unless, he, -</p> <p>(a) is, or has been, a Judge of Supreme Court; or</p> <p>(b) is or has been a Chief Justice of a High Court.</p> <p>(2) A person shall not be qualified for appointment as Judicial Member unless he is, or has been, a Judge of a High Court.</p> <p>(3) A person shall not be qualified for appointment as Administrative Member, unless he, -</p> <p>(a) has held or has been holding the rank of Major General or above for a total period of three years in the Army or equivalent rank in the Navy or the Air Force; or</p> <p>(b) has served for not less than one year as Judge Advocate General in the Army or the Navy or the Air Force, and is not below the rank of Major General, Commodore and Air Commodore respectively; or</p> <p>(c) is a person of ability, integrity and standing having special knowledge of, and professional experience of not less than thirty years in, economics, business, commerce, law, finance, accountancy, management, industry, public affairs, administration or in any other matter useful to the Armed Forces Tribunal.</p>	<p>Search-cum-Selection Committee for the post of Chairperson, Judicial Member and Administrative Member —</p> <p>(i) Chief Justice of India or any Judge of the Supreme Court nominated by him – chairperson;</p> <p>(ii) (a) in case of appointment of Chairperson, the Outgoing Chairperson of the Armed Force Tribunal - member; or</p> <p>(b) in case of appointment of Judicial Member and Administrative Member the Chairperson of the Armed Forces Tribunal - member;</p> <p>(iii) Secretary to the Government of India, Ministry of Defence-member; and</p> <p>(iv) Secretary to the Government of India, Ministry of Personal, Public Grievances and Pensions (Department of Personnel and Training)-member.</p>
19.	National Green Tribunal under the National Green Tribunal Act, 2010 (19 of 2010)	<p>(1) A person shall not be qualified for appointment as Chairperson, unless he, -</p> <p>(a) is, or has been, a Judge of Supreme Court; or</p> <p>(b) is, or has been, Chief Justice of a High Court.</p> <p>(2) A person shall not be qualified for appointment as Judicial Member, unless he, -</p> <p>(a) is, or has been, a Judge of a High Court; or</p>	<p>Search-cum-Selection Committee for the post of the Chairperson, Judicial Member and Expert Member of the National Green Tribunal, —</p> <p>(i) Chief Justice of India or any Judge of the Supreme Court nominated by him – chairperson;</p> <p>(ii) (a) in case of appointment of Chairperson, the Outgoing Chairperson of the National Green Tribunal - member; or</p>

		<p>(b) has, for a combined period of ten years, been a District Judge and Additional District Judge.</p> <p>(3) A person shall not be qualified for appointment as Expert Member, unless he, -</p> <p>(a) has a degree or Post-graduation degree or Doctorate Degree in Science and has an experience of twenty-five years in the relevant field including five years' practical experience in the field of environment and forests (including pollution control, hazardous substance management, environment impact assessment, climate change management, biological diversity management and forest conservation) in a reputed National level institution; or</p> <p>(b) has administrative experience of twenty years including experience of five years in dealing with environmental matters in the Central Government or a State Government or in a reputed National or State level institution.</p>	<p>(b) in case of appointment of Judicial Member and Expert Member the Chairperson of the National Green Tribunal - member;</p> <p>(iii) Secretary to the Government of India, Ministry of Environment and Forest-member; and</p> <p>(iv) Secretary to the Government of India, Ministry of Personal, Public Grievances and Pensions (Department of Personnel &amp; Training)-member.</p>
--	--	---	---

[F. No. A.-50050/9/2016-Ad.1C (CESTAT) (Pt-1)]

RITVIK PANDEY, Jt. Secy.